सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

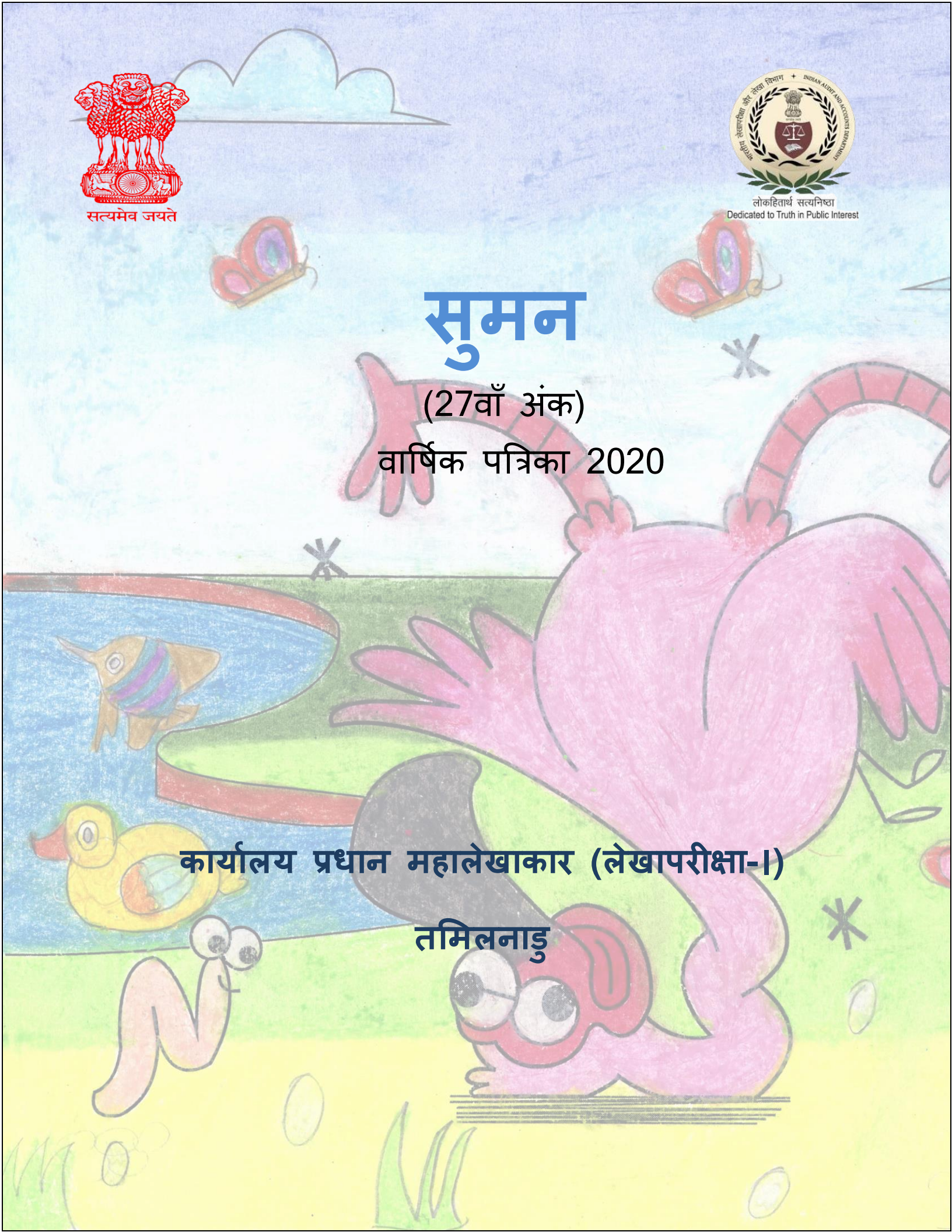

सुमन

(27वाँ अंक)

वार्षिक पत्रिका 2020

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

तमिलनाडु

प्रधान महालेखाकार के कर कमलों से सुमन गृह पत्रिका 2019 का प्रकाशन

हिंदी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दावा अनुभाग की तरफ से वरि.उप महालेखाकार एवं वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी/दावा रोलिंग शील्ड 2019 प्राप्त करते हुए ।

“मैं कोई विरासत नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक समूह है जो मैं इस समूह का हिस्सा हूं। मैं इस समूह में भूल जाऊंगा। हवा में घुल जाऊंगा। मैं लोगों के बीच रहना चाहूंगा, मैं कोई विरासत नहीं छोड़ूंगा।“

भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि

rawpixel

संदेश

कार्यालय की गृह पत्रिका 'सुमन' का सत्ताईसवां अंक प्रस्तुत करते हुए मझे अपार हर्ष हो रहा है । इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करना तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति स्नेह, उत्साह एवं रुचि उत्पन्न करना है । यह पत्रिका कार्यालय में सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति के लिए एक सार्थक मंच भी उपलब्ध कराती है।

मैं हिंदी के प्रचार-प्रसार को अपनी प्राथमिकताओं में रखती हूँ जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र को जोड़ने वाली कड़ी को अत्यधिक मजबूत किया जा सकें । हमारे कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है । हिंदी कार्यशाला, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी पत्रिका में भागीदारी के कारण सभी अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं ।

मुझे विश्वास है कि पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं ज्ञानवर्धक एवं रचनात्मक भाव सृजन करने में सफल होंगी । पत्रिका के सम्पादक मण्डल, रचनाकारों तथा प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों- कर्मचारियों के सफल प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ ।

देविका

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

संदेश

कार्यालय की वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका 'सुमन' के सत्ताईसवां अंक के प्रकाशन करते हुए मैं उत्साहित हूँ तथा कार्यालय द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों से मुझे बेहद खुशी है ।

इस अवसर पर मैं पूरे पत्रिका परिवार को बधाई देता हूँ । कार्यालयीन पत्रिका कर्मचारियों की सृजनशीलता का माध्यम होने के साथ-साथ राजभाषा के प्रति गौरव का भाव भी भरती है । ज्ञान एवं अनुभद के संरचण में भी पत्रिका की भूमिका अहम होती है । पत्रिका के प्रकाशन में सहभागी सभी अधिकारी, कर्मचारी, लेखकवृंद एवं संपादक मंडल प्रशंसा के पात्र हैं ।

मुझे विश्वास है कि 'सुमन' गृह पत्रिका का यह अंक भी प्रगति एवं उद्देश्य को पूरा करने में सफल होगा । पत्रिका के उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएँ ।

एस. वेल्लियंगिरी

वरि. उप महालेखाकार/प्रशासन

<u>हिंदी अधिकारी की लेखनी में</u>

भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के भाव और विचार सुन-पढ़ कर उसे ग्रहण करते हैं । मानव स्वभाव की तरह भाषा का भी अपना स्वभाव होता है उसका यह स्वभाव, प्रकृति, भौगोलिक परिवेश, जीवन-पध्दति, सामाजिक-सांस्कृतिक विकास आदि के अनुरूप बनता और ढलता है ।

भाषा भी प्रयोग के द्वारा प्रगतिशील होती है दो तरीकों से लिखित और मौखिक । इस लिखितीय प्रगति में हिंदी पत्रिकाओं का योगदान महत्पूर्ण है । पत्रिकाएं विचारों एवं भावों के आदान-प्रदान के जरिए भाषा के चिर परिवर्तनशीलता को बरकरार रखती है । हिन्दीत्तर क्षेत्र की पत्रिकाएं हिन्दी-क्षेत्रों से भिन्न है उनमें होते प्रयोगों एवं मातृ भाषाओं के योग से । इस तरह हर क्षेत्रों से निकलने वाली पत्रिकाओं में उनकी अपनी छवी और रूप है, अलग-भिन्न,विशिष्ट प्रकृति से भरपूर इसका परस्पर मिलन उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और विलोमतः जब संभव होती है तो पूरे भारत में हिन्दी भाषा के प्रयोग और पहचान में प्रगति संभव होती है । इसलिए राजभाषा हिंदी की प्रगति में हिन्दी पत्रिकाएं एक महत्पूर्ण कड़ी बनती हैं ।

जय हिन्द । जय हिन्द ।

षिबी.टी मंजूरान/हिंदी अधिकारी

पत्रिका परिवार

मार्गदर्शक

श्रीमती देविका नायर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

परामर्शदाता

श्री एस.वेल्लियंगिरी

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

संयोजक

श्रीमती एस मनोन्मणी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

संपादक मंडल

सुश्री षिबी. टी. मांजूरान - हिन्दी अधिकारी

श्रीमती एस. अभयाम्बाल - वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

श्री राम लखन मीणा - कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

श्री विपिन कुमार - कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

प्रत्याखान : इस गृहपत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में जितने विचार हैं, केवल रचनाकारों के अपने हैं । इसलिए इन्हें मात्र सृजनात्मकता की दृष्टि से पढ़ने की कृपा करें । रचनाओं की मौलिकता का दायित्व भी रचनाकारों तक सीमित रहेगा ।

एक नन्ही परी के नन्हे नन्हे हाथों द्वारा चित्रकारिता के क्षेत्र में शुरूवाती पहल...

टी. ए. अंशिगा
सुपुत्री-श्री टी आनंद कुमार/सलेपअ

अनुक्रमणिका

क्रम.सं.	विषय	श्री/श्रीमती/कुमारी
1.	राष्ट्रभाषा हिंदी	रोशन मीणा,स.लेप.अ.
2.	आओ फिर से नव-भारत का निर्माण करें	एस.अभयाम्बाल, वरि.हि.अनु
3.	श्रीमत् भगवत गीता- सफलता के कुछ सूत्र	आर. श्री विद्या, व.लेप.अ.
4.	भारत की नयी शिक्षा-निति	रोशन मीणा,स.लेप.अ.
5.	आत्मनिर्भर भारत अवसर व चुनौतियां	राम लखन मीना, कनि.हि.अनु.
6.	ग्रामीण जीवन	आशा रामकृष्णन, वरि.लेप.
7.	व्यायाम का महत्व	पी.पावै, वरि.लेप.
8.	प्रातः कालीन भ्रमण	आशा रामकृष्णन, वरि.लेप
9.	सोशल मीडिया और समाज का ध्रुवीकरण	लक्ष्मी नारायण,वरि.लेप.
10.	भ्रष्टाचार	अखिलेश,डी.इ.ओ.
11.	नोट-बंदी या विमुद्रीकरण	रवि कुमार-II, लेप.
12.	एक राष्ट्र एक करः जी.एस.टी (G.S.T)	रोशन मीणा,स.लेप.अ
13.	डेटा निगरानी और गोपनीयता	लक्ष्मी नारायण,वरि.लेप.
14.	गोकर्ण	आर. श्री विद्या, व.लेप.अ.
15.	महिला सशाक्तिकरण	अखिलेश,डी.इ.ओ.
16.	त्योहारों का महत्व	आर. श्री विद्या, व.लेप.अ.

राष्ट्रभाषा हिंदी

भारत देश विभिन्न जाति, धर्मों एवं संस्कृति का देश है जहाँ कई भाषाओं और बोलियों का प्रयोग होता है। ऐसे में यदि किसी देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा न हो तो देश में एकता की कल्पना करना असम्भव है। इसलिए भारतीय संविधान में "**हिन्दी**" को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है जिससे इस राष्ट्रभाषा के धागे से सब एक साथ बंधे रहें। लेकिन, राष्ट्रभाषा होते हुए भी इसे वह दर्जा नहीं मिल पाया जो इसे मिलना चाहिये था।

भारत में मुगलों और अंग्रजों ने भी शासन किया और यही इसका कारण भी हो सकता है। कुछ हद तक हम हिन्दी भाषा का प्रयोग करने से अपने को छोटा भी मानते हैं और अंग्रेजी प्रयोग करने में बड़प्पन समझते हैं। हमें इस मनःस्थिति को सुधारना होगा और यह कार्य अपने घर से ही शुरू होना चाहिये अन्यथा एक दिन हम अपनी राष्ट्र भाषा को समझने के लिए इन्टरनेट का सहारा लेने लगेंगे जो कि हमने शुरू कर ही दिया है। हिन्दी माध्यम के विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी विद्यालय में हिन्दी को बढ़ावा नहीं मिल पाता। हमें बच्चों को हिन्दी किताबें पढ़ने एवं हिन्दी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये, क्योंकि यह वह आदत है जो बचपन से ही विकसित की जा सकती है।

बहुत समय पूर्व भारत में संस्कृत भाषा का प्रभाव था। बाद में धीरे-धीरे सामान्य जन-साधारण की भाषा के रूप में हिंदी भाषा प्रचलन में थी। इसके बाद भारत पर मुगलों का शासन रहा।हांलाकि उन्होंने अरबी व फारसी को कार्यालय के दस्तावेजों तक ही सीमित रखा लेकिन फिर भी हिन्दी भाषा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज, अंग्रेजी को कार्यालय तक ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी प्रयोग में लाये। इस कारण भारतीय भाषा पर अंग्रेजी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। हांलाकि अंग्रेजी शासन से आजादी के बाद जब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया तब भी उसे वह सम्मान न मिल पाया जिसकी अपेक्षा की गई थी।

आजकल जिस किसी को भी देखो वह अंग्रेजी भाषा या किसी अन्य भाषा को सीखने में ज्यादा उत्सुक रहता है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि अधिकतर स्थानों पर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि अंग्रेजी न आने से उसका भविष्य खराब हो। इसलिए हिंदी काम चलाने लायक आ जाये तो बहुत है पर अंग्रेजी अवश्य आनी चाहिय ।

इस प्रकार की स्थिति होने का सीधा सम्बन्ध हमारी नीतियों से है। यदि सरकार ऐसी नीति बनाये कि जिससे सभी स्थानों पर हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्रमुखता दी जाये तो लोग अपनी राष्ट्रभाषा की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। विदेश में जाने के लिए जिस प्रकार अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है वैसे ही हमें भी अपने देश के नागरिकों एवं बाहर से आकर कार्य करने वालों के लिए हिन्दी भाषा की परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक बनाना चाहिये। इस प्रकार अधिक से अधिक लोग हिन्दी भाषा में पारंगत होंगे एवं प्रयोग करने में उत्साहित भी। विद्यालय स्तर पर भी हमें हिन्दी भाषा के प्रयोग पर जोर देना चाहिये जिससे बच्चे बचपन से ही अन्य भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी भाषा में पारंगत हों।

हिन्दी दिवस पर प्रत्येक विद्यालय में हिन्दी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक होना चाहिये जिसमें बच्चे बढ़-चढ़ कर अपनी भागीदारी करें। पाठ्यक्रम में अन्य भाषाओं के नाटक एवं कहानियों के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी प्रमुख साहित्यकारों के नाटक एवं कहानियाँ सम्मिलित करनी चाहियें। अधिकतर लोग निमंत्रण पत्र एवं आपसी पत्राचार में भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि निमंत्रण पत्र हिन्दी में बनाये जाये तो लोग इन्हें पढ़कर अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति अधिक जागरुक होंगे एवं अधिक से अधिक प्रयोग करने पर गौरवान्वित महसूस करेंगे।

राजनैतिक स्तर पर भी हिंदी में भाषण न देकर कई नेता अंग्रेजी में भाषण देते हैं जिसका विरोध करना चाहिये एवं हिंदी में भाषण देने पर जोर दिया जाना चाहिये। यदि देश के नेता यह कदम उठायेंगे तो जनता भी उनके साथ-साथ चलेगी। हिन्दी साहित्य के कई प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिनकी रचनायें अन्य भाषाओं में छप कर पूरे विश्व में छाई हुई हैं जिनमें महादेवी वर्मा, भारतेन्दु हरीशचन्द्र, प्रेमचन्द, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय 'हरिऔध'और भी न जाने कितने साहित्यकार हैं। हम तो इन्हें भूलते जा रहे हैं लेकिन

इनकी रचनायें अन्य भाषाओं में प्रकाशित हो कर भारत से बाहर अपना नाम कमा रही हैं। यदि समय रहते हमने सही कदम न उठाया तो भाषा के साथ-साथ यह राष्ट्र भी कमजोर होता जायेगा और अपनी पहचान भी खोता जायेगा।

महाकवि भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने भी कहा था - "***निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल***". अतः भारत की उन्नति के लिए आवश्यक है की भारतवासी ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करें.

रोशन मीणा/स.लेप.अ.

आओ फिर से नव-भारत का निर्माण करें

आओ फिर से नव सशक्त भारत का निर्माण करें
जात-पात से ऊपर उठकर लोगों में नया-विश्वास,
नयी ऊर्जा , नयी उमंग भरें ।

न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई ऊँचा न कोई नीचा,
सर्व-धर्म समभाव की नीति अपना कर
विश्व में नयी मिसाल पेश करें ।

न हो कोई महिला अशिक्षित, न कोई पीड़ित,
न हो कोई बालिका से दुष्कर्म इसी पर विचार करें ।

न हो कश्मीर में आतंकी हमला, न हो दंगे फसाद
न हो भीड-तंत्र का प्रकोप, न किसी निर्दोष की हत्या ।

न हो श्रमिक बेरोजगार, अपनी कौशलता का हम दम भरें
न हो किसानों की आत्महत्या,
न हो सीमाओं पर किसी सैनिक का बलिदान
अमर शहीदों का सम्मान करें
भ्रष्ट तंत्र का पर्दाफाश करें
आओ मिलकर इस पर आत्म-मंथन करें ।

न हो ओछी राजनीति , न हो समाज तोड़ने की बात करें
न हो धर्म का अपमान,न ही असहिष्णुता की बात करें ।

नई शिक्षा नीति से नयी ऊर्जा ,नवोचार की बात करें
मेक इन इंडिया , आत्मनिर्भर, हुनर हॉट -
भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए, नयी उड़ान भरें ।
न हो आजादी की अभिव्यक्ति का उल्लघंन,
न टुकड़े-टुकड़े, न राग-द्वेष, न वैमनस्य, न हो कोई दंगे फसाद की बात

आओ फिर मिलकर अब खुशहाली, सौहार्द , सदभावना के
एक स्वर में नये भारत का यशोगान करें ।।

एस. अभयाम्बाल/वरि.हिं.अनुवादक

श्रीमद् भगवत गीता- सफलता के कुछ सूत्र

श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले श्लोकों में मानव जीवन का पूरा सार झलकता है । भगवत गीता में मानव जीवन का सम्पूर्ण ज्ञान समावेशित है जिसमें आपको जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है ।

भगवत गीता से सफलता के कुछ सूत्र :

1. **स्वयं का आकलन**

   गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना चाहिए । हमें हमसे ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता । इसलिए अपनी कमियों और अच्छाइयों का आकलन कर स्वयं में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए ।

2. **क्रोध पर नियंत्रण**

   गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुध्दी व्यग्र होती है, जब बुध्दी व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है । गुस्सा आपको और आपके जीवन को प्रभावित कर, नुकसान पहुंचाता है। जब आपको गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें।

3. **मन की माया**

   गीता में अपने मन पर नियंत्रण को बहुत ही अहम माना गया है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है । वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो वह आपको विचलित करता जाता है ।

4. **आत्म मंथन**

गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए । आत्म ज्ञान के माध्यम से ही अहंकार को नष्ट किया जा सकता है । अहंकार अज्ञानता को जन्म देता है। उत्कर्ष की ओर अग्रसर होने के लिए आत्म मंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी अति आवश्यक है ।

5. फल की इच्छा

गीता में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है । इसलिए सतकर्मों को महत्व देना चाहिए । दुष्कर्मों से बचना चाहिए।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है ।

समय के साथ परिवर्तन, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन से ही विकास होता है । बदलाव के साथ नयी चीजें अविष्कृत होती हैं, नए सिद्धांत व नियम आते हैं ।

हर घड़ी, हर पल बदल रहा है, यह सृष्टि का चक्र है, इसके साथ ताल-मेल रखने के लिए, हमें समय के साथ निरंतर बदलते रहना है । चाहे जीवन में कितने भी उतार-चढाव आये, हमें बस निरंतर चलते रहना है ।

हमारा जीवन भी समय के साथ परिवर्तित होता रहता है । समय की परिस्थिति से अपनी परिस्थिति का तालमेल रखने के लिए, हमें अपने आप की परिवर्तित करते रहना होगा, इसलिए हमें परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए , तभी सफलता हासिल होगी । यदि जीवन में प्रगति चाहते हो, तो परिवर्तित समय के साथ चलना स्वाभाविक है ।

जीवन में आने वाली हर नई- परिस्थिति हमारे लिए वर्तमान में परीक्षा और भविष्य में शिक्षा का कार्य करती है ।

आजकल हम सभी किसी न किसी कारण दुखी है उसका एक मात्र कारण है, हम स्व में परिवर्तन कर स्वतंत्र बनने के बजाय परिस्थिति पर (पर-स्थिति अर्थात दूसरों की स्थिति) ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं । हम दूसरों के अधीन या वश में हो जाते हैं, स्वयं को स्वभाव, संस्कार, खुशी, नाराजगी का रिमोट कंट्रोल हम किसी दूसरे के हाथ में देते हैं । अर्थात् सामने वाले की हाथ की हम कट-पुतली बन जाते हैं ।

समय परिवर्तनशील है। समय के साथ किसी किसी भी वस्तु विषय और विचार में भिन्नता आती है। समय के साथ उत्तरोत्तर बदलने को ही विकास की संज्ञा दी जाती है।

ब्रहांड का कण-कण परिवर्तनशील है । हमारे शरीर की पुरानी कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं और नई कोशिकाएँ उनकी जगह ले लेती हैं । परिवर्तन के आने से ही जीवन में नए उत्साह साहस की लहर जाग्रत होती है । परिवर्तित समय का सामना करने का सर्वोच्च उपाय है कि उसका स्वागत किया जाए । जीवन में आये परिवर्तन को स्वीकार करे और अपने जीवन को सफल बनाए ।

आर. श्री विद्या/व.लेप.अ.

भारत की नयी शिक्षा-नीति

शिक्षा ही किसी समाज और राष्ट्र की जागृति का मूल आधार है। अतः शिक्षा का उदेश्य साक्षरता के साथ साथ जीवनोपयोगिता भी होना चाहिए। शिक्षा-नीति से अभिप्राय शिक्षा में कतिपथ सुधारों से होता है। इसका अधिक सम्बन्ध भावी पीढ़ी से होता है। शिक्षा-नीति के द्वारा हम अपने समय के समाज और राष्ट्र की आश्वयकताओं को पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध करने के लिए कुछ अपेक्षित मानसिक और बौद्धिक जागृति को तैयार करने लगते हैं। नई शिक्षा-नीति का एक विशेष अर्थ है, जो हमारी सोच समझ में हर प्रकार से एक नयापन को ही लाने से तात्पर्य प्रकट करती है।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा सम्बन्धित यहाँ विविध प्रकार के आयोगों और समितियों का गठन हुआ। इनसे आशातीत सफलता भी मिली। इस सन्दर्भ में महात्मा गाँधी की **'बुनियादी शिक्षा'** की दृष्टि बहुत अधिक कारगर और अपेक्षापूर्ण सफलता की ओर भी थी। इसी के अन्तर्गत **'आधारभूत विद्यालयों'** की शुरूआत की गई थी। सन् 1953-54 ई. में भारत सरकार ने शिक्षा पद्धति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके आयोग का गठन किया था। इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा चौथी से बढ़ाकर पाँचवीं तक कर दी गयी।इसी तरह सन् 1964 सन् 1966, सन् 1968 और सन् 1975 में शिक्षा सम्बन्धी आयोग गठित होते रहे। सन् 1986 में 10+2+3 की शिक्षा पद्धति शुरू की गई थी। उसे कुछ राज्यों में लागू भी किया गया।

सन् 1986 में लागू की गई शिक्षा-नीति की घोषणा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इसे पूरे राष्ट्र की आश्वयकता बतलाया। इसे पूर्वकालीन शिक्षा सम्बन्धित विभिन्ताओं और त्रुटियों को दूर करने वाली भी बतलाया था। इसे ही नयी शिक्षा-नीति की संज्ञा दी गई थी। इस शिक्षा-नीति की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

1. जीवन शिक्षा की एकरूपता- इस नयी शिक्षा-नीति को जीवन पर आधारित बनाया गया था। इसे जीवनानुकूल होने पर बल दिया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक विशेष मन्त्रालय बनाया। उसका नाम 'मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय' रखा गया। इससेशिक्षा को मानव जीवन के विभिन्न अंगों से जोड़ने के साथ ही साथ इसके विकास से विभिन्न संसाधनों अर्थात् सरकारी, अर्ध-सरकारी और गैर- सरकारी सहायता स्रोतों की उपलब्धि भी सुलभ हो गई। इसमें साहित्य-संस्कृति और भाषा विकास आदि के प्रवेश से शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत हो गया।

2. एकरूपता- इस शिक्षा-नीति केद्वारा पूरे देश में एक ही ढंग की शिक्षा, अर्थात् सभी विद्यालयों में 10+2 कक्षा तक तथा सभी महाविद्यालयों में एक सा तीन वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया।

3. बुनियादी स्तर पर परिवर्तन- नयी शिक्षा-नीति के द्वारा हमारी बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन हुआ। इसके अनुसार प्रत्येक गाँव में अनिवार्य रूप से एक-एक विद्यालय खोले गए। इनमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई आदि की अपेक्षित सुविधा का ध्यान रखा गया। पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को विशेष सुविधा प्रदान की गई। इसके द्वारा प्रोढ़ शिक्षा का अधिक प्रचार और प्रसार हुआ।

4. आधुनिक संसाधनों का विशेष प्रयोगनीय शिक्षा-नीति के प्रचार-प्रसार के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, कम्प्यूटर इत्यादि नये और उपयुक्त साधनों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया गया। इससे पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसार प्रचार कार्य जो सीमित थे, उसे अब व्यापक स्तर प्रदान करते हुए सभी आकाशवाणी और दूरदर्शन के केन्द्रों से एक समान ही शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करने पर विशेष जोर दिया गया। इससे अब शिक्षा विद्यालयों और महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय के प्रांगण तक ही सीमित नहीं रही अपितु वह समाज और राष्ट्र के घट घट से उच्चरित होने लगी।

5. केन्द्रीय विद्यालयों को प्रोत्साहन- नयी शिक्षा-नीति ने सभी केन्द्रीय विद्यालयों को एक ही तरह की सुविधाएँ दे दी हैं। इस नीति ने देश के हर एक जिले में कम से कम केन्द्रीय विद्यालय की व्यवस्था बना ली है। इससे अधिकांश जिलों में ये विद्यालय खुल चुके हैं। शेष स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालयों की योजना बनी हुई है।

6. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की खोज- नयी शिक्षा-नीति के द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और योग्य शिक्षार्थियों के लिए जिलास्तर पर 'नवोदय विद्यालयों' को स्थापित करने की योजना बना दी गई है। इन विद्यालयों में विशेष स्तर की शिक्षा देने की व्यवस्था है।

7. परीक्षा-पद्धति में परिवर्तन- नयी शिक्षा-नीति में परीक्षा की विधि एवं पूर्व परीक्षा विधि की तरह परीक्षा भवन में बैठ बैठकर रटे रटाए प्रश्नोत्तर लिखने तक सीमित नहीं रह गई है, अपितु विद्यार्थियों के व्यावहारिक अनुभव को भी परीक्षा का आधार बनाया गया है। इसमें प्रत्याशी अपने व्यावहारिक स्तर के मूल्यांकन के आधार पर कोई पद, व्यवसाय या उच्चतम अध्ययन को चुनने के लिए बाध्य होगा।

इस प्रकार से हमारी नयी शिक्षा-नीति हर प्रकार से अपेक्षित और उपयोगी शिक्षा-नीति होगी और यह सभी प्रकार की अटकलों और भटकनों को दूर करने में समर्थ होगी ।

रोशन मीणा/स.लेप.अ

आत्मनिर्भर भारतः अवसर व चुनौतियां

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने का आहवान किया । जिसमें उन्होंने VOCAL FOR LOCAL नारा दिया ।

आत्मनिर्भर भारत का अर्थ विश्व से जुड़े हुए लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बहतर बनाना है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं है भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भर भारत पर बल देते हुए जिसकी आत्मा **वसुधैव कुटुम्बकम्** है आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसा अभियान है जो भारत को अधिक से अधिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की बात करता है तथा यह आत्मकेन्द्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है ।

आत्मनिर्भर भारत का उद्धेश्य COVID-19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ना ही नहीं, बल्कि भविष्य के भारत का पुननिर्माण करना भी है ।

यह विचार महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित है जिसका अर्थ है- 'मेरा गांव आत्मनिर्भर बने''आदर्श गांव होगा, तभी आदर्श भारत होगा' ।

गांधी जी ने ग्राम स्वराज में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि गांव ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहेगा । हर गांव की अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला, सभा-भवन,वाटर, वर्कस आदि होंगें । उन्होंने ग्रामों की तरक्की के लिए कुटीर उद्योगों को बढावा दिया जिसमें चरखा व खादी का प्रचार भी शामिल है । भारत में स्वदेशी को एक विचार के रूप में देखा जाता है जो भारत की संरक्षणवादी

अर्थव्यवस्था का आर्थिक मॉडल रहा और राष्ट्रवादी तबका लम्बे समय से इस विचार की वकालत करता रहा है ।

इसी तर्ज पर 25 सिंतबर 2014 को भारत में **"मेक इन इंडिया"** नाम से एक पहल की शुरूआत की गयी जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की यह भव्य इमारत 05 स्तंभों पर खड़ी होगी । पहला स्तंभ एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि क्वांटम जान पाए। दूसरा स्तंभ बुनियादी ढांचा जो आधुनिक भारत की पहचान बने । तीसरा स्तंभ हमारी अर्थव्यवस्था जो 21वीं सदी के सपनों को साकार बनाने वाली तकनीकी डिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो । चौथा स्तंभ जनसांख्यिकी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए उर्जा का स्रोत है पांचवा स्तंभ मांग और पूर्ति का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है ।

आत्मनिर्भर भारत अभियान आपूर्ति श्रंखला को और अधिक बहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया जाए जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को दुरूस्त किया जा सके ।

VOCAL FOR LOCAL से तात्पर्य वैश्विक आपूर्ति श्रंखला में भारत की भागीदारी बढाने से है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य

प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान हेतु एक विशेष आर्थिक पैकेज जो 20 लाख करोड़ रू का है जो भारत के जी डी पी का लगभग 10 प्रतिशत है यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी सहायक साबित होगा जो 4(L)- Labour, Land Liquidity, Law पर केंद्रित होगा, यह कुटीर उद्योग एम एस एम ई, मजदूरों, मध्यम वर्ग उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों को जरूरत को पूरा करेगा ।

प्रधानमंत्री जी के अनुसार ये सुधार बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे तथा मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे । उन्होंने कहा कि संकट ने हमें लोकल (स्थानीय या स्वदेशी) विनिर्माण लोकल बाजार और लोकल आपूर्ति श्रंखलाओं के महत्व को सिखा दिया है ।

संकट के समय हमारी सभी आवश्यकताओं स्थानीय स्तर पर ही पूरी हुई । हर भारत वासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है , न केवल लोकल उत्पाद खरीदने है, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना भी है ।

इसके अंतर्गत **"आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955"** में बदलाव किया है जिसके अंतर्गत खाद्दान, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज, खाद्य तेल आदि के बाजारों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

आत्मनिर्भर भारत की कमियां

आत्मनिर्भर भारत अभियान एक सुधारात्मक अभियान होते हुए भी इसमें कुछ कमियां भी दृष्टिगोचर हो रही हैं जैसेः-

1. अभियान के राहत पैकेज में दीर्घकालिक उपाय अधिक है, जबकि तात्कालिक उपायों की वर्तमान में अधिक आवश्यकता है .
2. जन धन खाता नहीं होने से जरूरतमंद लोग प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से वंचित हो रहे हैं ।
3. लगभग 90 प्रतिशत राशि कर्ज देने या सस्ते कर्ज देने की शर्तें आसान करने और ब्याज दरों में कटौती या त्वरित भुगतान करने पर ब्याज में कुछ छूट देने से जुड़ी है ।
4. अभियान में घोषित योजनाएं पहले से घोषित योजनाओं को ही रिपैकेजिंग किया गया है ।
5. आर्थिक विशेष पैकेज में यह स्पष्ट नहीं है कि खर्च निर्धारित बजट के अतिरिक्त खर्च होगा या अलग-अलग योजनाओं के बजट में कटौती कर इसे उसी में समायोजित किया जायेगा ।

चुनौतियां

1. यद्यपि आर्थिक पैकेज भारत की जी.डी.पी का 10 प्रतिशत है लेकिन पैकेज का वित्तपोषण करना आसान नहीं है ।
2. वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऐसे दौर में जब अमेरिका के स्टॉक मार्किट की हर एक हलचल भारत व चीन के बाजारों पर सीधा असर डालती है ।

3. भारत में स्थानीय उद्धमियों और निर्माताओं को सुरक्षा देने से विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के साथ टकराव संभव है ।
4. आत्मनिर्भर भारत के पांचों स्तंभों की हालत भी बहुत अधिक उत्साहित करने वाली नहीं है यह सच है कि वैश्विक आपूर्ति श्रंखला कमजोर पड़ी है लेकिन भारत की स्थिति ऐसी नहीं है वह चीन से साथ प्रतिस्पर्धा कर सके ।
5. भारत में बुनियादी ढांचे का विकसित न होना भी एक बड़ी चुनौती है ।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उठाए जाने वाले कदम

- भारत को व्यापार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण बढाने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ।
- भारत को इच्छाशक्ति(Intent), समावेशन(Inclusion), निवेश(Investment), बुनियादी ढांचा(Infrastructure), और नवाचार(Innovation) पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने की दिशा में भारत को और अधिक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता हो सकती है ।

आत्मनिर्भर भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां होने के बावजूद भारत को औधोगिक क्षेत्र में मजबूती के लिए उन उद्दमों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत को महाशक्ति के रूप में उभरने की संभावना है । इसके अतिरिक्त देश के नागरिकों को सशक्तिकरण करनें की आवश्यकता है ताकि वे देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सके तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें ।

आत्मनिर्भर भारत

राम लखन मीना
कनि.हिंदी अनुवादक

ग्रामीण जीवन

भारत गांवो का देश है । इस विशाल देश में नौ लाख से अधिक गांव हैं । देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या इन गांवों में ही निवास करती है । अतः भारत का वास्तविक चित्र गाँवों में ही दिखाई देता है । गाँवों की जनता के जीवन में खुशहाली आने से ही देश प्रगति कर सकता है।

पहले लोगों की धारणा थी कि ग्रामीण जीवन आदर्श जीवन है । गाँव में जनता प्रकृति के समीप रहती है । इसलिए उनके जीवन में बनावटीपन का अभाव होगा । गाँवं के लोग भोले-भाले और सरल स्वभाव के होते हैं । उनके जीवन में झूठ, जाल-फरेब और फैशन का स्थान नहीं होता है । वे दिखावे से दूर राष्ट्रकवि गुप्त जी ने कहा था "अह्- ग्राम्य जीवन भी क्या है । क्यों न इसे सबका मन चाहे" ।

किन्तु वर्तमान ग्राम्य जीवन उपर्युक्त धारणा के बिल्कुल विपरित दिखाई देता है । आजकल गाँवों में भी शहरी सभ्यता की हवा बहने लगी है । इसके प्रभाव से निवासी भी दिनोदिन फैशन के उपासक बनते जा रहे हैं । देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढती जा रही है । गाँवों की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है । परिणामतः गाँवों में सर्वत्र बेकारी का वातावरण छाया हुआ है । खेतों के स्वामित्व के प्रश्न को लेकर ग्रामीणों मे मार-पीट होने लगी है । गाँवों में हर प्रकार के कारीगर बसते हैं लेकिन उनके साधन बहुत पुराने ढंग के हैं जिससे वे पिछड़ गये हैं ।

वर्तमान युग वैज्ञानिक प्रगति का युग है । किन्तु, विज्ञान के कल्याणकारी अविष्कारों से भारत के अधिकांश ग्राम आज भी वंचित हैं । स्वाधीनता मिले साढे सात दशक हो गए हैं पर अभी तक देश के बहुत से गाँवों में बिजली नहीं पहुंच पाई है । अधिकांश गाँवों में पेय जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है । गर्मी के दिनों में जब कुओं का जल-स्तर बहुत नीचे चला जाता है और नदी, तालाब आदि सूख जाते हैं तब ग्रामीण जनता जल के लिए हाहाकार कर

उठती है । शहरों में जो बीमारियाँ साधारण मानी जाती है, गाँवों में उनका भी उचित इलाज कठिन हो जाता है । गाँवों में दवाखानों, अस्पतालों आदि का भी अभाव ही है ।

यातायात एवं परिवहन के साधनों की दृष्टि से भी भारत का ग्रामीण जीवन अत्यंत दयनीय है । ग्रामीण जीवन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए ग्राम-पंचायतों की व्यवस्था की गई है । शहरों की तरह गाँवों में भी नव-वधुएं दहेज के लिए जलाई जाती हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं तथा यूवावर्ग धड़ल्ले से मादक पदार्थों के सेवन में लगा हुआ है ।

गाँवों के विकास के लिए सरकारी स्तर पर और अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं । किंतु ग्रामीण जीवन के विकास के लिए हम सभी को मिलजुलकर प्रयत्न करने पड़ेगें । विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विशविद्यालयों के विद्यार्थियों को अपनी छुट्टी गाँवों में बितानी चाहिए । ग्राम वासियों को स्वच्छता और स्वास्थय-रक्षा के उपाय बताने होंगे । प्रौढ़-शिक्षा और साक्षरता अभियान चलाना होगा । गाँवों में कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग का विकास करना चाहिए । यदि ग्रामीण जीवन का स्तर ऊंचा उठेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को वहीं रोजी-रोटी मिलने लगेगी, तो शहरों की ओर भाग-दौड़ कम हो जायेगी । इसलिए हम सब मिलकर भारत के ग्रामीण जीवन को सुखमय बनाने के प्रयास करें ।

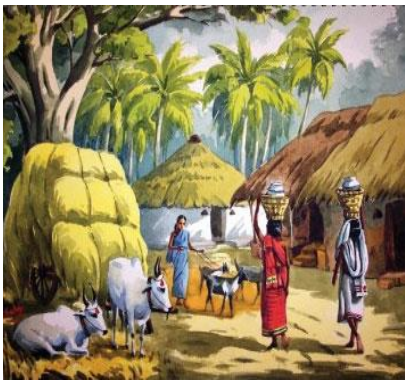

आशा रामकृष्णन/वरि.लेप

व्यायाम का महत्व

समय के साथ हर चीज बदलने लगती है, बदलाव एक प्राकृतिक गुण है । इस बदलाव में कुछ चीजें पहले की तरह नहीं होती जैसे हमारे शरीर पर भी समय के साथ अलग-अलग तरीके के बदलाव आते रहते हैं । खासकर व्यक्ति की उम्र पचास होने के बाद पुरूष हो या महिला दोनों नें अपनी शरीर के बदलाव को महसूस करते आ रहे हैं ।

पहले इसका प्रभाव मनुष्य के कामों में होता है । पहले की तरह किसी भी काम को निश्चित समय में पूर्ण करने के लिए पहले से अधिक समय लगने लगता है । यदी वह उस काम को संपूर्ण नहीं कर पाता तो मन ही मन तनाव उत्पन्न होता जाता है । इस वजह से शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है । शरीर अपने आप क्षीर्ण होता चला जाता है । सिर्फ शरीर में ही नहीं इसका प्रभाव व्यक्ति की मनोस्थिति पर भी पड़ता है । इस कमजोरी को दूर करने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन अति आवश्यक है । मनोस्थिति को सुधारने के लिए खुश रहना आवश्यक है और जिस काम से हमें खुशी मिलती है वही काम करना चाहिए ।

दूसरा शरीर का लचीलापन कम होने लगता है जिस कारण से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं हड्डियों को घनत्व कम होता जाता है । घुटनों और जोड़ो में दर्द होने लगता है जिससे हड्डियों के हानि पहुंचने की संभावना भी बढ जाती है । इस कमी को दूर करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कसरत । हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करने के लिए कसरत और प्रातः टहलना अति आवश्यक है ।

तीसरा हमारे शरीर की मसल्स बनाने की क्षमता कम होती जाती है, क्योंकि शरीर को मसल्स विकसित करने के लिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है । इस कमी को दूर करने के लिए कसरत,योग और श्वाँस अंदर-बाहर करने वाला व्यायाम करना पड़ता है इससे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है ।

चौथा शरीर को उपापचय धीमा हो जाता है जिसके कारण शरीर के कैलोरी बर्न की क्षमता कम हो जाती है । उपापचय को अधिक करने के लिए सबसे आसान तरीका है ज्यादा से ज्यादा जल ग्रहण करना चाहिए ।

पांचवा समय के साथ आंखों की रोशनी और कानों से सुनने में परेशानी होना जिसके कारण मानव मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है । इसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए ।

अतः निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है की स्वयं स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार, कसरत, योग आदि अति आवश्यक है । थोड़ी सी दिनचर्या में परिवर्तन लाकर हम मन और शरीर को हमेशा चिंतामुक्त और स्वस्थ रख सकते हैं ।

पी.पावै/व. लेप.

प्रातः कालीन भ्रमण

निशा का अखण्ड साम्राज्य अब समाप्त हो चुका था । पक्षी समुदाय जाग चुके थे । आसमान पर हवाई लालिमा ऐसी लग रही थी मानो नव वधु के कपोलों पर आयी लालिमा हो । जो अपने प्रियतम के पहले मिलने के लिए आती है । पक्षियों का चहचहाना ऐसा लगता था मानो भौंर का अभिनन्दन कर रहे हों । सामने कल-कल कर तेज हवा बह रही थी । शीतल हवां के झोंके मेरे पास तक आकर शरीर को छू कर लौट जाते थे । मैं सोचने लगी ऐसा सुहावने वातावरण में भला कोई सो भी सकता है । मैं तुरन्त अपने बिस्तर से उठी और घूमने चल दी ।

प्रातः कालीन भ्रमण आज मुझे बहुत आनन्दित कर रहा था । ऐसे सुहाने वातावरण मैं जो व्यक्ति बिस्तर छोड़ कर घूमने चल देता है वह कभी रोगी नहीं हो सकता । घूमते समय उसे कितना सुख और शान्ति मिलती है इसका अनुभव वह स्वयं ही कर सकता है । घूमने से शरीर में स्फूर्ति तथा स्वभाव में उत्साह अपने आप ही आ जाता है । चिन्ता उसके पास तक नहीं आती । प्रातः कालीन भ्रमण सब रोगों की दवा है ।

प्रातः कालीन भ्रमण से मन को स्थिरता की अनुभूती होती है क्योंकि भ्रमण से मानव को स्वच्छ हवा मिलती है । प्रातः कालीन भ्रमण से सुबह-सुबह हरे तथा मनोहरी वृक्षों को देखने से आंखों को ठंडक मिलती है, क्लोरोफिल मिलने से आँखों की ज्योति भी बढ़ती है । भ्रमण से शरीर की दुर्बलता दूर हो जाती है । पक्षियों का कलरव मन मे उत्साह भरता है ।

मैं प्रकृति का आनन्द लेने यमुना के किनारे गई । किनारे पर सुंदर और साफ घाट बने हुए थे । ज्यों-ज्यों सूर्य की किरणों का प्रकाश बढ़ता जाता त्यों त्यों यमुना में नहाने वालों की भीड़ बढ़ती जाती । यमुना के तट के पास एक बाग है । ऐसा लगता था मानो सूर्य देवता उस

उपवन को जगमगाने स्वयं आये हैं । वृक्षों पर लगे फल और लताओं को छू कर जाती हुई हवा के झोंके मेरे मन को गुदगुदा रहे थे ।

मैं जब सैर करके वापस घर आ रही थी तो सूर्य की किरणें जमीन पर बिछी हुई थी । ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी अब जाग चुकी हो । हर तरफ चहल-पहल दिखाई दे रही थी । गाय, भैंस घास चरने के लिए खेतों की ओर आ रही थी ।

अंततः मैं यह कहना चाहूंगी कि प्रातः कालीन भ्रमण स्वास्थय के लिए लाभकारी होता है । जो व्यक्ति रोज सुबह घूमने जाता है उसे दवाई खाने की जीवन भर जरूरत नहीं पड़ती । वह ओर उत्साही हो जाता है । प्रकृति के सौंदर्य को देख कर मन को शान्ति मिलती है । भ्रमण में मनुष्य का शारिरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है । प्रकृति मानव को अनुशासन, प्रेम, निर्मलता और उदारता का पाठ सिखाती है । इसलिए हमें प्रकृति का आनंद लेने के लिए प्रतिदिन प्रातः कालीन भ्रमंण करना चाहिए ।

आशा रामकृष्णन/वरि.लेप

सोशल मीडिया और समाज का ध्रुवीकरण

संदर्भ

सूचना क्रांति के आधुनिक दौर में सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में सूचना क्रांति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किंतु सूचना क्रांति की ही उपज, सोशल मीडिया को लेकर उठने वाले सवाल भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। समाज की प्रगति में सोशल मीडिया की भूमिका क्या है? क्या सोशल मीडिया हमारे समाज में ध्रुवीकरण उत्पन्न कर रहा है? प्रस्तुत लेख विश्लेषण कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने का प्रयत्न करता है।

सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का काफ़ी सशक्त माध्यम बन चुका है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो केवल व्यक्तिगत संवाद के लिए नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा है। यह संसार के विभिन्न कोनों में बैठे लोगों से संवाद का महत्त्वपूर्ण माध्यम है साथ ही यह संपर्क, संवाद, मनोरंजन तथा नौकरी आदि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मैन्युअल कैसट्ल के अनुसार “सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों फेसबुक, ट्विटर आदि के जरिये जो संवाद करते हैं, वह मास कम्युनिकेशन न होकर सेल्फ कम्युनिकेशन है”। लेकिन आज जिस तरह फेसबुक, ट्विटर आदि पर प्रतिक्रिया हो रही है और टेलीविज़न चैनलों पर इसके उदाहरण दिये जा रहे हैं, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह केवल सेल्फ कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि यह अब मास कम्युनिकेशन बन चुका है। आज के तकनीकी युग में इसके द्वारा केवल एक सेकेंड में हजारों लोगों तक अपना संदेश पहुँचाया जा सकता है। आज सोशल मीडिया संवाद, संपर्क और मनोरंजन से आगे बढ़कर नौकरी खोजने और सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच को भी आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण

भूमिका निभा रहा है। आज सोशल मीडिया के कारण हमारी जीवनशैली बदल गई है। - हमारी ज़रूरतें, कार्यप्रणालियाँ-, रुचियाँ आदि भी इसके माध्यम से सामने आ रही हैं। आज सुबह होते ही व्हाट्सअप पर कई तरह की सूचनाएँ मिल जाती हैं। सोशल मीडिया ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को समाप्त करने में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखलाई है, तो इसका कुछ नकारात्मक पक्ष भी सामने आ रहा है। चूँकि यह एक सेकेंड में ही सूचनाएँ लोगों तक पहुँचा सकता है जिससे नकारात्मक पोस्ट से लोग काफ़ी कुप्रभावित भी होने लगे हैं। सच्चाई तो यह है कि टेलीविज़न ने लोगों से उसकी अपनी सोच छीनने और अपनी सोच उनपर थोपने की जो पहल आरंभ की, उसे सोशल मीडिया ने काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। कई सूचनाएँ लोगों को भ्रमित करने लगी हैं। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने में भी सोशल मीडिया सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

पृष्ठभूमि

1980 में यूरोप के न्यूक्लियर रिसर्च संस्थान CERN में कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में काम करने वाले **टिम बरनर्स ली** ने इंटरनेट का आविष्कार किया। 1989 में टिम बरनर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में अलग कंप्यूटर पर एकत्रित डाटा को सर्वर के द्वारा आपस में - जोड़कर सूचना के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। यह वर्ल्ड वाइड वेब तकनीकी क्षेत्र में ऐसा मास्टर स्ट्रोक है, जिसके द्वारा इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध होने पर व्यक्ति सूचना का आदान प्रदान कहीं भी और कभी भी कर सकता है । आज विश्व में लगभग 3675 मिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। सिर्फ भारत में ही लगभग 243 मिलियन से भी अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अनुमान है कि 2020 तक ये आंकड़े 500 मिलियन तक पहुँच जाएँगे। आज अशिक्षित लोगों के हाथों में भी मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के साथ उपलब्ध है। गाँवों में भी इंटरनेट की सुविधाएँ हैं जिसके कारण लोग इंटरनेट से जुड़े कार्यो में स्वयं काफी हद तक सक्षम हैं। जहाँ वे हैं, काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संगठन से जुड़े हैं या अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, वहाँ भी वे अपना संदेश लोगों तक पहुँचा सकते हैं।

सोशल मीडिया एक अपरंपरागत मीडिया है, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है। यह एक विशाल नेटवर्क है, जो पूरे विश्व को जोड़कर रखने में सक्षम है। यह संचार का काफ़ी अच्छा माध्यम है, जिससे काफ़ी तेज़ गति से सूचनाओं का आदान प्रदानहोता है। इसके

माध्यम से लोकतंत्र को मज़बूत बनाया जा सकता है, किसी उत्पाद को लोकप्रिय बनाया जा सकता है, साथ ही जनता को जागरूक किया जा सकता है। आज फ़िल्मों के ट्रेलर, टीवी प्रोग्राम का प्रसारण आदि भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। वीडियो और ऑडियो चैट भी इसके माध्यम से सुगम हो गई हैं, जिससे यह समाज और राष्ट्र को विकसित एवं सशक्त करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हम सूचना के न केवल उपभोक्ता है, बल्कि उत्पादक भी हैं। यही अंतर्द्वंद्व हमें इसके नियंत्रण से दूर कर देता है। औसतन प्रतिदिन लगभग 1.49 बिलियन लोग फेसबुक पर लॉग इन करते हैं। औसतन हर सेकंड ट्विटर पर लगभग 6,000 ट्वीट किये जाते हैं और इंस्टाग्राम की शुरुआत के बाद से इस पर अब तक 40 बिलियन से अधिक तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। जैसे-जैसे हम इस शताब्दी के दूसरे दशक की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे बीच की दूरियाँ कम करने एवं व्यक्तिगत नेटवर्क से बाहर मौजूद लोगों से अवगत कराने के अपने वादे से पलट रहे हैं।सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग के कारण हम खुद को हठधर्मी बनाते जा रहे हैं। फेक न्यूज़ आज एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है और लोगों की ताल में ताल मिलाकर चल रहा है। फेक न्यूज़ के उदय ने मुख्य धारा की मीडिया को भी शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है।आज फेक न्यूज़ पारंपरिक मीडिया आउटलेट में भी जगह बनाने में सफल हो गए हैं जिनके झाँसे में अक्सर प्रसिद्ध लोग भी आ जाते हैं।

ध्रुवीकरण कैसे हो रहा है?

- 1950 के दशक में सामाजिक मनोवैज्ञानिक सोलोमन असच (Solomon Asch) द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रयोगों की एक पूरी श्रृंखला की गई थी। ये प्रयोग यह निर्धारित करने के लिये किये गए थे कि बहुमत की राय के आगे किसी व्यक्ति की राय किस प्रकार प्रभावित होती है।
- इन प्रयोगों के निष्कर्ष में असच ने पाया की कोई व्यक्ति गलत जवाब देने के लिये सिर्फ इसलिये तैयार था ताकि वह बहुमत की राय के साथ शामिल रहे।

- उत्तरदाताओं ने इसलिये गलत जवाब दिये क्योंकि वे अपना उपहास नहीं उड़वाना चाहते थे या इसलिये क्योंकि उनका मानना था कि समूह उनके मुकाबले बेहतर जानकार है।
- राजनीतिक पार्टियां ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का दुरूपयोग यूवा वर्ग को प्रभावित करने के लिए कर रही है । इसके लिए पार्टियां किसी कंपनी से समझौता कर लेती है जो उन पार्टियों को लाखों जाली सोशल मीडिया अंकाऊट अथवा बॉटस् की पूर्ति करती है ।
- यद्यपि 1950 के दशक से संचार का यह स्वरूप विकसित होकर नए रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मानव का स्वभाव इसके साथ सामंजस्य बैठाने में सफल नहीं हो पाया है। कुछ हद तक यह धारणा ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रभाव को भी इंगित करती है, जिसने समाज में ध्रुवीकरण के विस्तार में योगदान दिया है।
- सोशल मीडिया पर बढ़ते ध्रुवीकरण को लेकर एल्टो विश्वविद्यालय, फिनलैंड द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, उपयोगकर्त्ताओं के बीच एकरूपता जैसे कारक (किसी सामाजिक व्यवस्था में उपयोगकर्ता अपने जैसे लोगों के साथ अधिक संबंध रखते हैं) और एल्गोरिदम का ही परिणाम है कि हम भिन्न विचारों को अपनाने में असहज महसूस करते हैं।
- सोशल मीडिया साइटें किसी उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिये तैयार हैं। उदाहरण के लिये, ट्विटर आपको नियमित रूप से उन लोगों का अनुसरण करने के लिये प्रेरित करेगा जो आपके दृष्टिकोण के समान दृष्टिकोण रखते हैं।
- खुलेपन, अस्पष्टता और गुमनामी जैसी विशेषताएँ जो कभी हाशिए पर स्थित समुदायों को ताकत प्रदान करती थीं, अब तुच्छ इरादों को बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही हैं।
- पिछले कुछ वर्षों के दौरान गलत खबरों (पूर्वाग्रह या मानव त्रुटियों के कारण), झूठी खबरों (जान-बूझकर बनाई गई फेक न्यूज़) और यहाँ तक कि 'फेक अकाउंट' की प्रवृत्ति बढ़ी है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर सीधे राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर किसी को परेशान करने में इस्तेमाल की जाती है।

अन्य माध्यमों से ध्रुवीकरण

- इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि उस्मानी साम्राज्य द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को एक मुसीबत की तरह देखा जाता था। किताबों की छपाई तथा वितरण की दर ने एक संदेह उत्पन्न कर दिया था। विडंबना यह है कि 1627 में स्थापित पहला ग्रीक प्रिंटिंग हाउस यहूदियों को लक्ष्य बनाने वाली एक पुस्तिका प्रिंट करता था।
- किताबें सोशल मीडिया की तरह ही एक साधन मात्र थीं। किताबों पर प्रतिबंध लगाना और सोशल मीडिया को दोषी ठहराना दोषपूर्ण तर्क के ही धोतक हैं।
- यदि सोशल मीडिया में बुराई के प्रति पक्षपात अंतर्निहित होता तो #metoo जैसे अभियान हमारे समक्ष कभी नहीं आ पाते।
- खोए हुए बच्चों का मिलना, विभिन्न आपदाओं में सहायता के लिये पैसों का वितरण और तमाम अन्य अच्छे काम सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं
- सोशल मीडिया मल्टीमीडिया तथा अन्य प्लेटफॉर्मों का एक तंत्र है जो बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और समावेशी है। यह वर्ग, पंथ, जाति, धर्म, लिंग, आयु या वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद सबके लिये समान अवसरों की सुविधा प्रदान करता है।
- हर (ऑनलाइन और ऑफ़लाइन) दुर्व्यवहार के लिये सोशल मीडिया को दोषी मानने का कोई तार्किक आधार नहीं है।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया की नैतिकता और स्वच्छंदता के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इसपर अभी तक अंकुश नहीं लगा है, जिससे जो ख़बरें मीडिया के अन्य माध्यमों के द्वारा लोगों तक नहीं पहुँच पातीं, वे भी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुँच जाती हैं। हालांकि देश में कई स्थानों पर सोशल मीडिया के माध्यम से ग़लत ख़बर प्रसारित होने के कारण मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। इस तरह की घटनाओं पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चिंता व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री की पहल पर वॉटसैप के अधिकारियों ने अपने यूज़र्स को जागृत करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से कई सुझाव दिए थे। कंपनी ने अपने स्तर से भी कई तरह के उपाय किए हैं। लेकिन समाज को भी सजग रहने की

आवश्यक्ता है। किसी भी सुविधा या अस्त्र का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना ही हितकर होता है वरन् ग़लत उपयोग से समाज और देश को भारी क़ीमत चुकानी पड़ती है।

- सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण लोगों के सोचने का दायरा संकुचित होता जा रहा है जो न केवल मतदान के समय व्यवहार में परिवर्तन लाता है बल्कि हर रोज़ व्यक्तिगत वार्ताओं में भी इसका भारी प्रभाव पड़ रहा है। यह आज के दौर में गंभीर चिंता का विषय है।
- यह सच है कि सोशल मीडिया का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिये समर्थन हासिल करने में किया गया था, जिसने राजस्थान में एक मुस्लिम व्यक्ति को ज़िंदा जला दिया था, लेकिन यह वही सोशल मीडिया है जिसका इस्तेमाल उस बच्ची के माता-पिता हेतु धन जुटाने के लिये भी किया गया था, जिसकी जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सामूहिक बलात्कार के बाद नृशंस हत्या कर दी गई थी।
- उक्त तथ्य से यह साबित होता है कि सोशल मीडिया एक साधन मात्र है जिसका इस्तेमाल पूर्णतः उपयोगकर्त्ता पर निर्भर करता है।
- सोशल मीडिया निश्चित रूप से सूचनाओं के भरमार (तथ्यात्मक और फेक दोनों) की वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है लेकिन साथ ही यह लोगों को उनके अधिकारों तक पहुँचने और उनकी राय सुनाने में भी सक्षम बनाता है। उम्मीद है कि समय के साथ लोग इंटरनेट पर कोई भी सामग्री शेयर करने की ज़िम्मेदारी लेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के प्रति घटते जा रहे विश्वास को पुनः प्राप्त करेंगे।
- आपसी विरोध को दर्शाने, भड़ास निकालने और विरोधियों को हानि पहुँचाने के लिए भी सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। अश्लील चित्र, धार्मिक उन्माद, हिंसा फैलाने वाले आलेख आदि का इसपर शेयर और फॉरवर्ड काफ़ी होता है, जिसपर नियंत्रण नहीं है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आईटी सेल का प्रयोग करते हैं और अपनी पोस्ट द्वारा जनता को भ्रमित करते हैं। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत आक्षेप काफ़ी होने लगा है, चरित्र की धज्जियाँ उड़ाई जाने लगी हैं और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना होने लगी है। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यदि दुरुपयोग करे, तो न्यायपालिका की भी अवहेलना होगी। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्त्व है, किन्तु स्वतंत्रता यदि स्वच्छंदता में बदल जाए, तो परेशानी होगी। प्रतिबंधित सामग्री यदि निजी भड़ास के लिए इस्तेमाल हो, तो निश्चय ही सोशल मीडिया की

नैतिकता पर प्रश्नचिह्न लगेगा। अब गलत आईडी के द्वारा भी अश्लील पोस्ट करने और प्रतिशोध की मानसिकता दिखने लगी है। पिछले दिनों राजस्थान के भीलवाड़ा में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली टिप्पणी के कारण दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अपराधी प्रवृत्तियाँ और अपसंस्कृति सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने लगी हैं, साइबर अपराध की घटनाएँ भी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं,जिनपर अंकुश लगना चाहिए। सोशल मीडिया भारत जैसे लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते यह अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी का एहसास कर ले।

लक्ष्मी नारायण

व.लेप/इ डी पी

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार न केवल हमारे निजी जीवन के लिए अभिशाप है बल्कि यह राष्ट्र के विकास में भी बाधक है। भ्रष्टाचार पर आपको कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। केवल परीक्षा के नजरिए से ही नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए भी आपको सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए - भ्रष्टाचार होता क्या है? इसके क्या कारण है? क्या दुष्प्रभाव हैं? और साथ-ही-साथ भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं? इस बारे में सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में अपना योगदान दें सकें।

हमारे देश में भ्रष्टाचार आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चला आ रहा है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की हालत खराब होती जा रही है। एक पद विशेष पर बैठे हुए व्यक्ति का अपने पद का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। ऐसे लोग अपने पद का फायदा उठाकर कालाबाजारी, गबन, रिश्वतखोरी इत्यादि कार्यों में लिप्त रहते है, जिसके कारण हमारे देश का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है। इसके कारण हमारे देश की आर्थिक प्रगति को भी नुकसान पहुँचता है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह है जो कि धीरे-धीरे हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। आज हमारे देश में प्रत्येक सरकारी कार्यालय, गैर-सरकारी कार्यालय और राजनीति में भ्रष्टाचार कूट-कूट कर भरा हुआ है जिसके कारण आम आदमी बहुत परेशान है। इसके खिलाफ हमें जल्द ही आवाज उठाकर इसे कम करना होगा नहीं तो हमारा पूरा राष्ट्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा।

भ्रष्टाचार का अर्थ

भ्रष्टाचार का मतलब इसके नाम में ही छुपा है भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट + आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। भ्रष्टाचार में मुख्य घूस यानी रिश्वत, चुनाव में धांधली, ब्लैकमेल करना, टैक्स चोरी, झूठी गवाही, झूठा मुकदमा, परीक्षा में नकल, परीक्षार्थी का गलत मूल्यांकन, हफ्ता वसूली, जबरन चंदा लेना, न्यायाधीशों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय, पैसे लेकर वोट देना, वोट के लिए पैसा और शराब आदि बांटना, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, अपने कार्यों को करवाने के लिए नकद राशि देना यह सब भ्रष्टाचार ही है। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपैरंसी इंटरनैशनल की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में भारत का भ्रष्टाचार में 81 वां स्थान है।

भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार

भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अधिक गहरी हैं कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो, जो इससे अछूता रहा है। राजनीति तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गयी है। आज भारत में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, कालाबाजारी अर्थात जानबूझकर चीजों के दाम बढ़ाना, अपने स्वार्थ के लिए चिकित्सा जैसे क्षेत्र में भी जानबूझकर गलत ऑपरेशन करके पैसे ऐंठना, हर काम पैसे लेकर करना, किसी भी सामान को सस्ता लाकर महंगे में बेचना, चुनाव धांधली, घूस लेना, टैक्स चोरी करना, ब्लैकमेल करना, परीक्षा में नकल, परीक्षार्थी का गलत मूल्यांकन करना, हफ्ता वसूली, न्यायाधीशों द्वारा पक्षपात पूर्ण निर्णय, वोट के लिए पैसे और शराब बांटना, उच्च पद के लिए भाई-भतीजावाद, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, यह सब भ्रष्टाचार है और यह दिन-ब-दिन भारत के अलावा अन्य देशों में भी बढ़ रहा है और कोई क्षेत्र भ्रष्टाचार से नहीं बचा। शिक्षा विभाग भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा है। वह तो भ्रष्टाचार का केन्द्र बनता जा रहा है। एडमिशन से लेकर समस्त प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया तथा नौकरी पाने तक, ट्रांसफर से लेकर प्रमोशन तक परले दरजे का भ्रष्टाचार मिलता है।

भ्रष्टाचार के कारण

1. भ्रष्ट राजनीति के कारण हमारे देश में हर दूसरा राजनेता भ्रष्ट है, उनकी छवि कलंकित है फिर भी वे राजनेता बने हुए हैं और सरकार चला रहे है।

2. भाई-भतीजा वाद के कारण बड़े अफसर अपने पदों का दुरुपयोग करके अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलवा देते हैं, चाहे वह व्यक्ति उस नौकरी के नाकाबिल ही क्यों न हो, जिससे देश में बेरोजगारी तो फैलती ही है।

3. झूठे दिखावे व प्रदर्शन के लिए।

4. झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए।

5. देश के बड़े उद्योगपति अपना कर बचाने के लिए बड़े अफसरों को रिश्वत देते हैं, ताकि उनको कर नहीं देना पड़े जिससे हमारे देश के विकास के लिए पैसों की कमी हो जाती है। इसके कारण हमारे देश के उद्योगपति और बड़े अफसर दोनों भ्रष्टाचारी हो जाते है।

6. अधर्म तथा पाप से बिना डरे बेशर्म चरित्र के साथ जीने की मानसिकता का होना।

7. अधिक परिश्रम किये बिना धनार्जन की चाहत।

8. राष्ट्रभक्ति का अभाव।

9. मानवीय संवेदनाओं की कमी।

10. गरीबी, भूखमरी तथा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि तथा व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से।

11. लचीली कानून व्यवस्था।

12. नैतिक मूल्यों में आयी भारी गिरावट के कारण।

13. भौतिक विलासिता में जीने तथा ऐशो-आराम की आदत के कारण।

14. धन को ही सर्वस्व समझने के कारण।

15. शिक्षा का अभाव होने के कारण गरीब लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वहां के जनप्रतिनिधि उन योजनाओं के बारे में उनको अवगत नहीं कराते है और पूरा पैसा स्वंय हजम कर जाते है।

16. सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियाँ अपना गलत प्रचार करती है और जो काम नहीं भी हुआ होता है उसका भी प्रचार कर देते है।

17. देश के कुछ भ्रष्ट नेता हमारे देश के लोगों को भाषा के नाम पर भी राजनीति करते हैं। लोग अपनी भाषा के विवाद के चलते एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इसी का फायदा उठाकर भ्रष्ट नेता नए घोटालों को अंजाम दे देते है।

18. जब किसी को अभाव के कारण कष्ट होता है तो वह भ्रष्ट आचरण करने के लिए विवश हो जाता है ।

भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव

(1) भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का आर्थिक विकास रुक सा गया है।

(2) भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश हर प्रकार के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है।

(3) भ्रष्टाचार के कारण ही आज भी हमारे गांव तक बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई है।

(4) अधिकांश धन कुछ लोगों के पास होने पर गरीब-अमीर की खाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है ।

(5) सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक पहुँच ही नहीं पाता है।

(6) भ्रष्टाचार के कारण भाई भतीजा वाद को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण अयोग्य लोग भी ऐसे पदों पर विद्यमान रहते है।

(7) इसके कारण किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है और वे कर्ज के कारण आत्महत्या करने को मज़बूर हो जाते हैं।

(8) भ्रष्टाचार का रोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में इस तरह से फैल गया है कि आम आदमी को अपना कार्य करवाने के लिए बड़े अफसर नेताओं को घूस देनी ही पड़ती है।

(9) भ्रष्टाचार के कारण कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। कम कीमत के सामान को ऊँची कीमत में बेचा जाता है।

(10) माफिया लोगों की पहुँच बड़े नेताओं तक होने के कारण वे अवैध धंधे करते हैं, जिसके कारण जन और धन दोनों की बर्बादी होती है।

(11) समाज के विकास के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति ही भ्रष्टाचार में लिप्त होने लग जाता है।

(12) बड़े अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लाभ पहुंचाते है। ऐसे अधिकारी भ्रष्ट लोगों से मिलकर बड़े-बड़े घोटाले करते है जिसके कारण पूरा सरकारी तंत्र भ्रष्ट हो जाता है।

(13) भ्रष्टाचार के कारण अनेक परियोजनाएँ तो अधूरी रह जाती हैं और सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया व्यर्थ चला जाता है।

(14) भ्रष्टाचार के कारण विश्व में हमारे देश की छवि बहुत ही खराब हो चुकी है। इसके कारण कई विदेशी हमारे देश के साथ व्यापार नहीं करना चाहते है।

(15) भ्रष्टाचार के कारण ही हमारे देश में विदेशी लोग आने से घबराते है। आए दिन कोई न कोई घोटाला होता रहता है जिसके कारण हमारे राष्ट्र की छवि पूरी तरह से खराब हो रही है।

(16) सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाए जाने के कारण भ्रष्ट लोगों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण बीते वर्षों की अपेक्षा वर्तमान में घोटालों की संख्या बढ़ गई है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ़ बना अधिनियम

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हमारे देश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया गया है। यह अधिनियम भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर भी लागू है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा करता हो, केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य, में या कोई भी न्यायाधीश, कोई भी व्यक्ति जो कृषि, उद्योग ,बैंक, में हो कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी, कुलपति, आचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, सभी को इस अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है और इसकी सजा निर्धारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, ताकि भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को हमारे देश से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए और इस अधिनियम से लोगों के मन में डर बना रहे हैं।

भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय

(1) लोकपाल कानून को प्रत्येक राज्य, केन्द्रशासित प्रदेश तथा केन्द्र में अविलम्ब नियुक्त किया जाए जो सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हों। उसके कार्य-क्षेत्र में प्रधानमंत्री तक को शामिल किया जाए।

(2) हर क्षेत्र में कार्य से पहले व्यक्ति को शपथ दिलाई जाए ताकि वह इस शपथ को हमेशा याद रखें।

(3) निर्वाचन व्यवस्था को और भी आसान तथा कम खर्चीला बनाया जाए ताकि समाज-सेवा तथा लोककल्याण से जुड़े लोग भी चुनावों में भाग ले सकें।

(4) प्रशासनिक मामलों में जनता को भी शामिल किया जाए।

(5) प्रशासनिक कार्य के लिए लोकपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करें।

(6) कानून और सरकार से लोगों की मानसिकता बदलना जरूरी है।

(7) सही समय पर सही वेतन बढ़ाया जाए।

(8) सरकारी कार्यालय में कर्मचारीयों की संख्या आवश्यकता से कम न हो।

(9) भ्रष्टाचार का विरोध भी इसे रोकने में काफी कारगर सिद्ध होगा है।

(10) भ्रष्टाचार का अपराधी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाए। कानून संक्षिप्त और कारगर हो, लचीला न हो कर कठोर हो।

(11) अगर हमें भ्रष्टाचार से मुक्त देश चाहिए तो हमें लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना होगा ग्रामीण इलाकों को लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके साथ कब कोई बेईमानी कर गया इसलिए हमें गांव-गांव जाकर लोगों को भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए जाल के बारे में बताना होगा।

(12) जब भी कोई सरकारी टेंडर या सरकारी भर्तियां निकलती है तो बड़े नेता और अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों को बिना किसी क्वालिफिकेशन के वह नौकरी या टेंडर दे देते हैं जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है जिनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। सरकार को इसके ऊपर नियम लाकर कड़े कानून बनाने चाहिए और भाई भतीजावाद पर रोक लगानी चाहिए।

(13) शिक्षा के अभाव के कारण ही लोग अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाते हैं, जिसके कारण उन्हें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है।

(14) हमारे इलेक्शन कमिशन को भ्रष्टाचारी नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। लेकिन नियमों की ढील के कारण भ्रष्टाचारी नेता भी चुनाव लड़ते है।

(15) हमें किसी भी गलत चीज के प्रति विरोध करने की आदत डालनी होगी। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार ऐसे ही फैलता रहेगा।

(16) हमें हर एक धोखाधड़ी की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को देनी होगी क्योंकि पहले व्यक्ति छोटी रिश्वतखोरी करता है और फिर उसका लालच बढ़ता जाता है और वह बड़े-बड़े घोटालों को अंजाम देने लग जाता है।

उपसंहार

आज भ्रष्टाचार हमारे देश भारत में पूरी तरह से फ़ैल चूका है। भारत में आज लगभग सभी प्रकार के आईटी कंपनियाँ, बड़े कार्यालय, अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी, भारत पूरी तरीके से विकसित होने की दौड़ में बहुत पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार ही तो है। चाहे वह समाज का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सरकारी कर्मचारी हो या कोई राजनीतिक नेता, शिक्षा का कार्य क्षेत्र हो - हर जगह भ्रष्टाचार ने अपना घर बना लिया है। आज भ्रष्टाचार कुछ इस प्रकार से भारत में बढ़ चुका है कि कहीं-कहीं तो भ्रष्टाचार के बिना काम ही नहीं होता है।

भारत जैसे विकासशील और लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार का होना एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र धूमिल होता नजर आ रहा है, जो कि हमारे देश पर कीचड़ उछालने से कम नहीं है। हमारा नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि हम अन्य लोगों के बारे में जरा भी नहीं सोचते है।

हमारा देश सत्य, अहिंसा, कर्मठ, शीलता, और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज 21वीं सदी के भारत में यह सब चीजें देखने को नहीं मिलती है। जिसके कारण हमारा देश कहीं ना कहीं अपनी मूल छवि को खोता जा रहा है। भ्रष्टाचार का कैंसर हमारे देश के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है। यह आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बना हुआ है।

अगर हमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है तो राजनेताओं, सरकारी तंत्र और जनता को साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा तभी इस भ्रष्टाचार रूपी दानव से हम अपने देश को बचा सकते हैं।

अखिलेश/डी.ई.ओ

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण से सम्बंधित आपकी सभी उलझनों को इस लेख के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया गया है। इस लेख में नोट-बंदी या विमुद्रीकरण क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? भारत में आज तक कितनी बार नोट-बंदी या विमुद्रीकरण किया गया है? नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के लाभ और हानियाँ क्या-क्या हुई? इसके क्या-क्या परिणाम निकले? इन सभी प्रश्नों को विस्तार के साथ बताया गया है -

सामग्री

प्रस्तावना

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता

भारत में नोट-बंदी या विमुद्रीकरण कब-कब और कितनी बार

8 नवम्बर, 2016 की नोट-बंदी या विमुद्रीकरण

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण का विरोध

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण पर मीडिया की भूमिका

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के लाभ

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की हानियाँ

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के परिणाम

उपसंहार

प्रस्तावना

भारत एक विकासशील देश है जो दिन-प्रति दिन विकास की बुलंदियों को छूता जा रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोट-बंदी करने का निर्णय एक बहुत ही कठिन निर्णय था, जो की भारतकी केंद्र की मोदी सरकार ने लिया। ऐसे में बहुत से आम लोगों को तकलीफ हुई परन्तु भ्रष्टाचार और काला धन जैसी समस्या कम हुई, जिसके कारण कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार की नई क्रान्ति आई है।

नोट बंदी के बाद नागरिकों को एक सीमित समय सीमा दी जाती है जिसके अंतर्गत वो बैंको में जाकर बंद हुए नोटों को जाकर बदलवा सकते हैं और उतनी ही कीमत के नए नोट ले सकते हैं। विमुद्रीकरण से काला धन, आतंकवाद और नशे पर लगाम लगी है और साथ ही भारत डीजिटल भी हुआ है क्योंकि नोट-बंदी के दौरान सारा लेन देन डीजिटल ही हुआ था। विमुद्रीकरण देश के लिए लाभकारी साबित हुआ है।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ

नोट-बंदी को ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। नोट-बंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना जिससे वे किसी भी काम के नही रहते। न ही उनसे कोई लेन देन किया जा सकता है, न ही कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरे शब्दों में - जब पुराने नोटों और सिक्कों को बंद करके नए नोट और सिक्के चलाए जाते हैं उसे नोट-बंदी या विमुद्रीकरण कहते हैं।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार देश में प्रचलित पुरानी मुद्रा को बंदकर देती है और नई मुद्रा लागू करती है। विमुद्रीकरण के अंतर्गत ज्यादातर बड़े नोटों को ही बदला जाता है। जब नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के नए नोट समाज में आ जाते हैं तो पुराने नोटों की कोई कीमत नहीं रहती। पुराने नोटों को बैंकों और एटीएम से बदलवाया जाता है। नोटों को बदलवाने के लिए समय निर्धारित किया जाता है। नोटों को बैंक की मदद से बदलवाया जा सकता हैं।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता

सबसे पहले सभी के ज़हन में यह सवाल उठता है कि आखिर किसी भी देश को नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

(i) नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता किसी भी देश को तब पड़ती जब देश में काले धन की जमाखोरी और जाली नोटों के कारोबार में अधिकता होने लगती है। ऐसे में लोग टैक्स की चोरी करने के लिए नगद लेन देन ज्यादा करने लगे जिनमें ज्यादातर बड़े नोट शामिल थे।

(ii) 2016 में नोट बंदी से पहले बहुत से जाली नोट भी पाए गए थे जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे थे। देश की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित रखने के लिए भी नोट-बंदी की आवश्यकता पड़ी है।

(iii) भ्रष्टाचार, काला-धन, नकली नोट, महँगाई और आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए ही नोट-बंदी का उपयोग किया जा सकता है।

(iv) अर्थशास्त्री मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हर 5 सालों में नोटों में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, हालांकि नोटों को बंद ही कर देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है

(v) जाली नोटों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि बैंक और एटीएम से भी जाली नोट निकलने के सामाचार मिल रहे थे। जांच करने के बाद पाया गया कि ये जाली नोट बिलकुल असली जैसे थे। इसके चलते भी यह कदम उठाया जाना आवश्यक था।

भारत में नोट-बंदी या विमुद्रीकरण कब-कब और कितनी बार

(i) विमुद्रीकरण हमारे भारत देश के लिए कोई नई बात नहीं थी। हमारे भारत में पहली बार वर्ष 1946 में 500, 1000 और 10, हजार के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था। 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर की जांच से जुड़ी वांचू कमेटी ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन सुझाव सार्वजनिक हो गया, जिसके चलते नोट-बंदी नहीं हो पाई।

(ii) जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10 हजार के नोट बंद कर दिए। हालांकि तत्कालीन आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल ने इस नोट-बंदी का विरोध किया था।

(iii) भारत में 2005 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 500 के 2005 से पहले के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था।

(iv) 2016 में भी मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी या विमुद्रीकरण का

फैसला किया। इन दो करेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 86% भाग पर कब्ज़ा किया था यही नोटबाजार में सबसे अधिक चलते थे। इसी वजह से इसका इतना बड़ा बवाल और परिणाम हुआ। नोटबंदी के दौरान पूरा भारत 'कैशलेस' हो गया था। सारा लेन देन ऑनलाईन हो गया था। विमुद्रीकरण के दौरान लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विमुद्रीकरण ने लोगों को थोड़े दिन की परेशानी जरूर दी थी लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा लाभ भी हुआ है। विमुद्रीकरण की योजना उतनी सफल नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी काफी हदतक इससे बहुत फायदा हुआ है।

8 नवम्बर, 2016 की नोट-बंदी

8 नवम्बर, 2016 को सायं 8:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोटों की नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की घोषणा की। लोगों को आशा थी प्रधानमंत्री जी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली नोक-झोक की बात करेंगे लेकिन नोट-बंदी की घोषणा ने तो सभी को हिला कर रख दिया।

कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी का विरोध किया और नोटबंदी को ख़ारिज करने की मांग की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने कालेधन को छिपा कर रखा हुआ था वो सुनारों के पास जाकर उस धन से सोना खरीदने लगे। नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन से ही बैंकों और एटीएम के बाहर सख़्ती लगनी शुरू हो गयी। सरकार ने काला धन निकालने के लिए बहुत प्रयत्न किये जैसे – बैंकों में नोटों को बदलवाने की संख्या में घटाव-बढ़ोतरी की गई, नए-नए कानून बनाए गये, नियमों को सख़्ती से लागू किया गया। सरकार ने अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए 50 दिन का समय माँगा। पुराने नोटों को बदलने के लिए 500 और 2000 के नए नोटों को चलाया गया। विमुद्रीकरण से काला धन काफी हद तक खत्म हुआ है और लोगों को बहुत लाभ हुआ है।

विमुद्रीकरण से भारत डीजिटल भी बना है क्योंकि उस समय सारा लेन देन डीजिटल ही हुआ था। विमुद्रीकरण ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायता की है।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण का विरोध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की योजना को जहाँ कुछ लोग सही बोल रहे थे वहीं विपक्ष पार्टी उनके इस फैसले को असफल और देश के पिछड़ने की वजह बता रहे थे,लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने फैसले पर अड़े रहे। विपक्षी पार्टी इस तरह से नोट-बंदी

का विरोध कर रही थी मानो उन्होंने अपने पास बहुत सारा काला धन छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी किसी भी हाल में अपने फैसले से नहीं हटे।

पूरी विपक्ष पार्टी ने नोट-बंदी की योजना का विरोध किया और उनके खिलाफ बहुत से कदम भी उठाये जैसे -मोर्चे, प्रदर्शन, रोष प्रकट करना आदि लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपने इस निर्णय को सही साबित करने में लगी रही। कभी प्रधानमंत्री व उनकी टीम लोगों को इस नोट-बंदी के फायदे गिनाने में लगे रहे व कभी पचास दिन का समय मांगते नजर आए। लोगों के अंदर भी बहुत भाईचारा देखने को मिला। कहीं अमीर दोस्तों को उनके गरीब नाकारा दोस्त याद आ रहे थे। कहीं अमीर रिश्तेदारों को अपने गरीब रिश्तेदारों के महत्व का एहसास होने लगा। अमीर बेटे की गरीब माँ का बैंक अकॉउंट जो की पिता की मौत के बाद मर चुका था अचानक जिन्दा हो गया। ऐसा लगा मानों पूरी मानवता जिन्दा हो गई।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण में मीडिया

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई थी। कुछ मीडिया वाले नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के पक्ष में थे तो कुछ नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के विरोध में थे। कुछ खबरों में लोगों को लाईनों में खड़े होकर मजे लेते हुए देखा गया तो कुछ लोगों को नोट-बंदी की वजह से आत्महत्या करते भी देखा गया। कुछ खबरों के मुताबिक लगभग सौ लोगों ने अपनी जान लाईनों में खड़े होकर गवा दी।

मीडिया में यह भी बताया गया कि लोग जब फिल्में देखने के लिए टिकट खरीदने के लिए बड़ी-बड़ी लाइन लगाते हैं, जब सुबह 4 बजे से सिलेंडर भरवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है ,तब लोगों को कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन नोट-बंदी के हानिकारक प्रभावों को लोगों ने बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर बताया।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण से होने वाली समस्या से जूझने के लिए कई मीडिया वालों ने जनता की मदद की और कुछ मीडिया वाले लोगों को नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के विरुद्ध भड़काने का काम भी कर रहे थे।

मीडिया किसी भी देश की सफलता का चौथा स्तंभ कहा जाता है अतः मीडिया को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कभी भी जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। बल्कि मीडिया को चाहिए कि वह पूरी ईमानदारी से बिना मिर्च-मसाला लगाए ख़बरों को ज्यों-की-त्यों जनता के समक्ष रखें।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के लाभ

सरकार द्वारा किए गए इस फैसले ने देश को कमजोर कर रहें सभी कारणों पर करारा प्रहार किया।

नोट-बंदी के समय लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बहुत से लाभ भी हुए हैं -

1. जब लोग बैंको में पैसा बदलवाने गए तब उनके हर एक पैसे की जानकारी सरकार के पास चली गई। जिनके पास आय से ज्यादा पैसा मिला उनसे आयकर विभाग वालों ने जाँच पड़ताल की और बहुत से लोगों के पास मौजूद काला धन पकड़ा गया।
2. काला धन ही है जो आतंकवाद, अहिंसा को बढ़ावा देता है। काला धन कम होने की वजह से आतंकवाद में भी कमी हुई है। क्योंकि वे जिस काले धन को दहशत फैलाने के लिए उपयोग कर रहे थे नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के कारण वो केवल कागज रह गया था।
3. नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की वजह से बहुत सा काला धन खत्म हुआ है और सरकार के कोष में गया है। जिसकी वजह से सरकार के पास धन बढ़ा है और सरकार ने उन पैसों को देश के विकास में प्रयोग किया है।
4. बैंको में नकद होने की वजह से ब्याज दरों में भी गिरावट हुई है।
5. बैंको में पैसे होने की वजह से लोगो को बड़े पैमाने पर उधार भी दिया ।

रवि कुमार-II, लेप.

एक राष्ट्र एक कर : जी०एस०टी० (G.S.T.)

सहकारी संघवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

प्रस्तावना-

भारत में टैक्स व्यवस्था की जड़ें काफी पुरानी हैं। टैक्स अथवा कर का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थ 'मनुस्मृति' और चाणक्य रचित 'अर्थशास्त्र' में भी मिलता है। विभिन्न ग्रन्थों में उल्लेख है कि कर प्रणाली का अन्तिम उद्देश्य अधिक-से-अधिक सामाजिक कल्याण होना चाहिए। लोक-कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी यही है।इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए माल एवं सेवा कर (Goods and Service Tax = GST) जो भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे 01 जुलाई, 2017 से सम्पूर्ण देश के भू-भाग पर लागू कर दिया गया। इसी के साथ राष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार एक वास्तविकता के रूप में सामने आया। 1920 के दशक में जर्मनी के एक व्यवसायी विल्हेम वॉन सीमेंस ने जी०एस०टी० का विचार दिया था। आज संसार के 160 से अधिक देशों ने इस कर प्रणाली को अपना लिया है।

सबसे बड़ा कर सुधार-

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माल एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) का 30 जून, 2017 की मध्यरात्रि को संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में शुभारम्भ किया गया। इसमें राष्ट्रपति प्रणव मुकर्जी व प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहित अधिकांश गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति प्रणव मुकर्जी ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण दिसम्बर 2002 में शुरू हुई लम्बी यात्रा की सुखद परिणति है।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने जी०एस०टी० को अच्छा व सरल टैक्स बताया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को मिलाकर

राष्ट्र का एकीकरण किया था। उसी प्रकार जी०एस०टी० के द्वारा देश का आर्थिक एकीकरण हो रहा है। अब गंगानगर (राजस्थान) से ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश). तक **'एक टैक्स-एक देश'** का नारा गूंजेगा।

जी०एस०टी० की विशेषताएँ-

देश की स्वतन्त्रता के 70 वर्ष बाद 14 टैक्सों को समाप्त कर एक टैक्स जी०एस०टी० में बदल दिया गया है। जी०एस०टी० लागू होने से अब किसी भी सामान की देशभर में समान कीमत होगी; क्योंकि इस पर पूरे देश में एकसमान कर लग रहा है। इससे उद्योग, सरकार और ग्राहक सभी को लाभ होगा। इससे सरकार के **'मेक इन इण्डिया'** कार्यक्रम को भी तीव्रता प्राप्त होगी। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं-

- आसान कर का अनुपालन,
- घर-परिवार के लिए वरदान,
- एक सशक्त आर्थिक भारत का निर्माण,
- सरल कर व्यवस्था,
- अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक तथा
- व्यापार और उद्योग के लिए लाभप्रद।

जी०एस०टी० की श्रेणियाँ-

आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में इस एकल व्यवस्था से कमी आएगी। जी०एस०टी० को वस्तुवार चार श्रेणियों में रखा गया है। निम्न और मध्यम वर्ग के इस्तेमाल की अधिकांश वस्तुओं पर जी०एस०टी० की दर शून्य रखी गयी है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जी०एस०टी० के दायरे से बाहर रखा गया है। जैसे खुला खाद्य अनाज, ताजी सब्जियाँ, आटा, दूध, अण्डा, नमक, फूल की झाड़, शिक्षा सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि को कर मुक्त किया गया है। चीनी, चायपत्ती, खाद्य तेल, घरेलू एल०पी०जी० आदि पर 5% जी०एस०टी० लगेगा।

मक्खन, घी, सब्जी, फलों से निर्मित खाद्य पदार्थ, मोबाइल आदि पर 12% जी०एस०टी० लगाया गया है। केश तेल, टूथपेस्ट, साबुन, आइसक्रीम, कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि पर 18% जी०एस०टी० लगाया गया है। विलासिता वाली कुछ विशेष वस्तुओं के साथ ही कुछ अन्य वस्तुओं पर 28% की सर्वाधिक दर लागू की गयी है। इस श्रेणी की वस्तुओं पर 5 वर्षों

तक उपकर भी लागू रहेगा ताकि जी०एस०टी० को लागू करने से राज्यों को होनेवाले किसी भी तरह के राजस्व नुकसान की भरपाई की जा सके।

लगभग 81 प्रतिशत वस्तुओं पर जी०एस०टी० की दर 18% या इससे कम है।केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय जी०एस०टी० (CGST) लागू किया गया है जबकि राज्यों द्वारा राज्य जी०एस०टी० (SGST) लगाया गया है। विधायिका वाले केन्द्रप्रशासित प्रदेशों में भी राज्य जी०एस०टी० लागू होगा। बिना विधायिका वाले केन्द्रप्रशासित प्रदेशों में केन्द्र शासित प्रदेश जी०एस०टी० (UGST) लागू होगा।

अन्तर्राज्य आपूर्ति पर एकीकृत जी०एस०टी० (IGST) लगाया गया है।
जी०एस०टी० में शामिल केन्द्रीय कर हैं-

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
- सीमा शुल्क,
- सेवा कर,
- उपकर और अधिभार।
- जी०एस०टी० में शामिल राज्य कर हैं-
- राज्य वैट,
- बिक्री कर,
- विलासिता कर,
- चुंगी,
- मनोरंजन कर विज्ञापनों/लाटरियों/सट्टे व जुए पर कर।

जी०एस०टी० के लाभ-कर की इस एकल प्रणाली के बहुआयामी लाभ हैं

- इस प्रणाली के लागू होने पर एकीकृत सामान राष्ट्रीय बाजार का सृजन हो सकेगा, जिससे विदेशी निवेश और 'मेक इन इण्डिया' जैसे अभियानों को गति प्राप्त होगी।
- इससे आम जनता पर करों का बोझ कम होगा।
- इससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे जिससे घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि होगी।
- देश के उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

- IGST और SGST की दरें समान होने के कारण अन्तर्राज्य कर चोरी की घटनाएँ प्रायः समाप्त हो जाएँगी।
- कम्पनियों का औसत कर भाग घटेगा तो वस्तुओं की कीमत भी घटेगी और उपभोग बढ़ेगा। इससे भारत एक 'औद्योगिक केन्द्र' के रूप में उभरकर सामने आएगा।
- कानूनी प्रक्रियाओं और कर दरों में एकरूपता आएगी।

उपसंहार-

इस प्रकार यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि जी०एस०टी० हर परिवार के लिए सौगात लेकर आएगा और राष्ट्र आर्थिक रूप से अधिक सबल व प्रगतिगामी होकर उभरेगा। शुरूआत में इसे लागू करने के दौरान कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं लेकिन **'एक देश एक टैक्स प्रणाली'** देश के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। इस सरल कर प्रणाली से व्यापार जगत का भी हित होगा।

वास्तव में जी०एस०टी० का प्रभाव देश की सीमाओं से परे भी दिखाई देगा। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित देश इसका लाभ उठा सकते हैं कि वे अपने यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं को अप्रत्यक्ष करों में रियायत देकर उन्हें आयात से सम्बद्ध कर लें। देश के विकास की दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विलासिता की महँगी वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर कर ढाँचे को प्रगतिशील रूप दिया गया है।

रोशन मीणा/सलेपअ

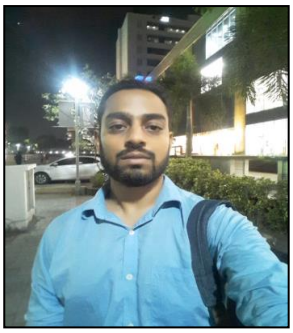

डेटा निगरानी और गोपनीयता

हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डेटा का ज़िंदगी में दख़ल, शॉपिंग आदि से आगे बढ़कर हमारी सोच और रोजमर्रा की ज़िंदगी यहाँ तक कि हमारी पसंद-नापसंद तक पहुँच गया है। हमारी सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियाँ, बैंकिंग, लेन-देन और तमाम आधिकारिक कामकाज डेटा के मोहताज हो गए हैं।

- संचार तकनीक दिन-ब-दिन उन्नत होती जा रही है। लेकिन आज इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल लोगों में भय पैदा करने, साइबर अपराध संबंधी गतिविधियाँ मसलन- साइबर अथवा डिजिटल वार, साइबर हैकिंग, साइबर आतंकवाद और आपत्तिजनक सामग्रियों को वर्चुअल दुनिया में प्रेषित करने जैसी गतिविधियों में किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपराधों पर नकेल कसने के लिये दो बड़े बदलाव

- उपरोक्त परिस्थितियों में सरकार ने ऐसे अपराधों पर नकेल कसने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो बड़े बदलाव करने की बात कही है।
- पहला बदलाव आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 (1) में किया गया। इसके तहत सरकार ने 10 एजेंसियों को यह अधिकार दिया हैं कि वे किसी भी कंप्यूटर की पड़ताल कर सकती हैं, उनका डेटा निकाल सकती हैं और अन्य जानकारियाँ हासिल कर सकती हैं।
- जबकि दूसरा बदलाव सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 में किया गया है जिसके तहत इंटरनेट प्रोवाइडर्स और साइबर कैफ़े को ऐसे व्यक्तियों को खोजने में सरकार की मदद करनी होगी जो इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करते हैं। सरकार की इस घोषणा से संसद और आम लोगों के बीच ख़लबली-सी मच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों में यह डर न बैठ जाए कि कहीं सरकार उनकी निजता में 'ताक-झाँक' तो नहीं कर रही है।

क्या है मुद्दा?

- सरकार द्वारा किये गए फैसले के बाद यह सवाल उठता है कि क्या सरकार ने जाँच एवं प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकारों के दुरुपयोग का एक और हथियार तो नहीं पकड़ा दिया है? सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का क्या होगा जिसमें निजता को नागरिकों का बुनियादी अधिकार करार दिया गया था? इस लेख में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई है। यहीं पर एक और सवाल मन में कौंधता है कि कंप्यूटर की निगरानी के संदर्भ में यह आदेश आखिर है क्या और इस निर्णय के पीछे सरकार की क्या मंशा है? इस लेख के माध्यम से हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे।

क्या कहा गया है गृह मंत्रालय के आदेश में?

- गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 10 केंद्रीय एजेंसियों को यह अधिकार मिला है कि वे किसी भी कंप्यूटर संसाधन में तैयार, प्रेषित, प्राप्त या भंडारित किसी भी प्रकार की सूचना की जाँच, सूचना को इंटरसेप्ट, सूचना की निगरानी और इसे डिक्रिप्ट कर सकती हैं। इन 10 केंद्रीय एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी, मंत्रिमंडल सचिवालय (रॉ), सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय (केवल जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के सेवा क्षेत्रों के लिये) और पुलिस आयुक्त, दिल्ली शामिल हैं।
- गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने आईटी एक्ट, 2000 के सेक्शन 69 (1) के तहत एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता के अलावा देश की रक्षा और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज़ से ज़रूरी लगे तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी को जाँच के लिये आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की इजाजत दे सकती है। जहाँ एक तरफ इस कानून की उपधारा एक के अनुसार, निगरानी के अधिकार किन एजेंसियों को दिये जाएंगे, यह सरकार तय करेगी; तो वहीं उपधारा दो के मुताबिक, अगर कोई अधिकार प्राप्त एजेंसी किसी को सुरक्षा से जुड़े मामलों में बुलाती है तो उसे एजेंसियों को सहयोग करना होगा और सारी जानकारियाँ देनी होंगी। यदि बुलाया गया व्यक्ति एजेंसियों की मदद नहीं करता है तो वह सज़ा का पात्र होगा और इसमें सात साल तक जेल की सज़ा का प्रावधान भी है।
- ऐसा नहीं है कि डेटा की निगरानी और इसका interception कोई नई बात है। दरअसल, भारत में इसका एक ठीक-ठाक इतिहास भी है।

निगरानी के इतिहास पर एक नज़र

- तकनीक के ज़रिये आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा सके, इसके लिये 1885 में ही इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश राज उस समय टेलीफोन पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग (टैपिंग) करती थीं। संदिग्ध लोगों की बातचीत ही सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में होती थी। इसके बाद 1898 में आया भारतीय डाकघर अधिनियम। यह अधिनियम केंद्र और राज्य को सार्वजनिक आपात स्थिति या सार्वजनिक सुरक्षा अथवा शांति के हित में Postal Articles को बाधित करने की अनुमति देता है। इसके बाद देश की आज़ादी के बाद के वर्षों में 1968 में विधि आयोग की 38वीं रिपोर्ट के अनुसार, इंटरसेप्शन प्रावधानों पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है।
- यदि कोई व्यक्ति संदेह की स्थिति में आ जाए तो 1973 में यह प्रावधान किया गया था कि सीआरपीसी की धारा 91 और 92 दोनों के तहत अदालतें, पुलिस और ज़िला मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति, डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण से किसी भी दस्तावेज़ या 'वस्तु' को जाँच, पूछताछ और परीक्षण के लिये मँगवा सकते हैं। थोड़ा और आगे जाएँ तो पाएंगे कि तकनीकी प्रगति के साथ जब कंप्यूटर का चलन बढ़ा और यह भी अपराध का माध्यम बना तो वर्ष 2000 में भारतीय संसद ने **आइटी कानून** बनाया। यह कानून डिजिटल संचार और सूचना के अवरोधन, निगरानी, डिक्रिप्शन और संग्रह को विनियमित करने वाले प्राथमिक कानूनों में से एक है।
- इसके बाद 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मद्देनज़र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में धारा 69 को शामिल करने के लिये एक संशोधन भी किया गया। वहीं 2009 का आईटी अवरोधन नियम इस बात को इंगित करता है कि ये आदेश किस तरह जारी किये जाएंगे और इन्हें कौन जारी करेगें । और अंत में सरकार द्वारा डेटा की जाँच-पड़ताल से जुड़े इन प्रावधानों से अलग 2017 में सुप्रीम कोर्ट की नौ(09) जजों की एक खंडपीठ का निर्णय आता है। यह निर्णय निजता के अधिकार को महत्त्व देने से जुड़ा है।
- अब यहाँ यह सवाल उठता है कि सरकार का हालिया कदम के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में आए उस निर्णय पर कैसा असर डालेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 को ध्यान में रखकर निजता के अधिकार को व्यक्ति का मूलभूत संवैधानिक अधिकार माना है। इस संदर्भ में लोगों की भिन्न-भिन्न राय है।

क्या डेटा निगरानी निजता के अधिकारों के विरुद्ध है?

- इस कथन का समर्थन करने वाले तबके का मानना है कि सरकार ने अपने इस आदेश के ज़रिये देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के नाम पर जाँच एवं ख़ुफ़िया एजेंसियों को मनमानी करने का एक अधिकार दे दिया है। लोगों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्विलांस पर रखा जाता है तो उसके लिये किसी न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के खिलाफ निगरानी होनी होती है उसे तो यह भी पता नहीं होता कि सरकार उसकी निजता में ताक-झाँक कर रही है। चूँकि इन जाँच एजेंसियों को यह अधिकार है कि वे किसी भी व्यक्ति और संदिग्ध कंप्यूटर में संग्रहीत सूचनाओं, डेटा और कॉल की निगरानी या जाँच-पड़ताल गोपनीय तरीके से करें, लिहाज़ा इस स्थिति में व्यक्ति की गोपनीयता और निजता के अधिकार के उल्लंघन का खतरा रहता है।
- विशेषज्ञों के मुताबिक, इन जाँच एजेंसियों के अधिकारियों और नौकरशाहों के किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा तक पहुँच के साथ ही कहीं भारत 'पुलिस राष्ट्र' न बन जाए। बड़े पैमाने पर सर्विलांस या यूँ कहें जन-निगरानी से 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी मामले में निजता के अधिकार के संबंध में दिये गए ऐतिहासिक निर्णय का चरित्र बदल सकता है। ऐसे में सरकार द्वारा निजता के अधिकार की अनदेखी जनतंत्र के उद्देश्य में रुकावट पैदा कर सकती है।
- वहीं दूसरी तरफ, इस बात का विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि किसी भी देश की सरकार के लिये देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बरकरार रखना प्रथम दायित्व होना चाहिये और इसमें उस देश की जनता की भी स्वैच्छिक भागीदारी होनी चाहिये क्योंकि स्वहित से सर्वोपरी राष्ट्रहित होता है। इनका तर्क है कि चूँकि निजता का अधिकार निरपेक्ष और बेलगाम नहीं है, इसलिये राज्य की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने और लोक व्यवस्था यानी Public Order के हित में तथा अपराध को रोकने के मद्देनजर सरकार के पास उस डेटा के अवरोधन, इंटरनेट ट्रैफिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक डेटा की निगरानी और Decryption का अधिकार होना ही चाहिये। इनका तर्क यह भी है कि यह निगरानी का कोई नया नियम नहीं है बल्कि ये नियम आईटी नियम 2009 के अंतर्गत ही लागू किये गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये एजेंसियाँ इन अधिकारों का मनमाना उपयोग करेंगी बल्कि इस तरह के किसी भी जाँच के लिये उन्हें गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। साथ ही किसी भी नागरिक को निगरानी पर रखने से पहले एक आदेश पारित किया जाएगा और उस आदेश पर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे। लोगों के तर्क अपनी जगह हैं परंतु ऐसे कई तथ्य सामने आ जाते हैं जिसके आधार पर कहा जाता है कि मौजूदा निगरानी ढाँचा अभी भी कमज़ोर है और यह कई चुनौतियों से घिरा हुआ है।

मौजूदा निगरानी ढाँचा

- मौजूदा निगरानी व्यवस्था के तहत निगरानी को दो कानूनों के ज़रिये नियंत्रित किया जाता है जिसमें से पहला है टेलीफ़ोन निगरानी जिसे 1885 के टेलीग्राफ़ अधिनियम के तहत और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जिसे आईटी अधिनियम 2000 के तहत मंज़ूरी मिली है।
- हालाँकि डेटा निगरानी का मौजूदा ढाँचा थोड़ा जटिल, भ्रामक और कमज़ोर है। ऐसे कई कारण हैं जिसके आधार पर कहा जाता है कि हमारे देश का वर्तमान निगरानी ढाँचा कमज़ोर है। इसमें से पहला है कि यह निगरानी व्यवस्था नौकरशाहीकृत है। सरल शब्दों में कहें तो निगरानी के बारे में निर्णय एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ज़रिये लिया जाता है जिसमें कोई संसदीय या न्यायिक पर्यवेक्षण नहीं होता है। अगर सर्विलांस व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटाइस्ड हो तो ऐसी स्थिति में जवाबदेहिता की कमी भी देखी जाती है।
- दूसरा कारण यह है कि यह निगरानी ढाँचा अस्पष्ट है। इसे थोड़ा सरल रूप में देखें तो पाएंगे कि निगरानी के आधार को संविधान के अनुच्छेद 19(2) से हटाकर आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत लाया गया है। इसमें कुछ बहुत ही व्यापक कथन निहित हैं मसलन- 'विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध' या 'भारत की संप्रभुता और अखंडता' इत्यादि। और इस निगरानी व्यवस्था की तीसरी कमी यह है कि यह व्यवस्था अपारदर्शी है। यूँ कहें कि ऐसी लगभग कोई जानकारी मौजूद नहीं है जिससे कहा जाए कि निगरानी के फैसले किस आधार पर लिये जाते हैं और इसके क़ानूनी मानकों को कैसे लागू किया जाता है।

हालिया घटना:

आरोग्य सेतु एप को लेकर कई विशेषज्ञों ने निजता संबंधी चिंता ज़ाहिर की है। हालाँकि केंद्र सरकार के अनुसार, किसी व्यक्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु लोगों का डेटा उनके फोन में लोकल स्टोरेज में ही सुरक्षित रखा जाएगा तथा इसका प्रयोग तभी होगा जब उपयोगकर्त्ता किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएगा जिसकी COVID-19 की जाँच पॉजिटिव/सकारात्मक रही हो।

विशेषज्ञों का पक्ष:

- क्या डेटा एकत्र किया जाएगा, इसे कब तक संग्रहीत किया जाएगा और इसका उपयोग किन कार्यों में किया जाएगा, इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। सरकार ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही कि हालात सुधरने के बाद इस डेटा को नष्ट कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिये एकत्रित किये जा रहे डेटा के प्रयोग में

लाए जाने से निजता के अधिकार का हनन होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायलय के आदेश का भी उल्लंघन होगा जिसमें निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है।जिस तरह आधार नंबर एक सर्विलांस सिस्टम बन गया है और उसे हर चीज़ से जोड़ा जा रहा है वैसे ही कोरोना वायरस से जुड़े एप्लिकेशन में लोगों का डेटा लिया जा रहा है, जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी डेटा और निजी जानकारियाँ भी शामिल हैं। अभी यह सुनिश्चित नहीं है कि सरकार किस प्रकार और कब तक इस डेटा का उपयोग करेगी।

आगे की राह

- निगरानी करने के अब तक के आधार अस्पष्ट तो हैं लेकिन उन आधारों की अस्पष्टता हटाकर स्पष्टता लाने की क़वायद करना ज़रूरी है। इसलिये कुछ बेसिक सवालों के जवाब जाँच एजेंसियों के पास होने चाहिये मसलन वे किसी की निगरानी क्यों कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की निगरानी की जा रही है आखिर उसने ऐसा क्या किया है? इत्यादि। हमें जाँच के लिये क़ानूनी ढाँचे की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। सर्विलांस की रिपोर्ट किसी न्यायिक अधिकरण के पास ही जानी चाहिये ताकि वह उन पर एक स्वतंत्र न्यायिक विचार दे सके। चूँकि जाँच की सारी रिपोर्ट्स न्यायिक अधिकरण में जाती हैं जहाँ पर निगरानी में रखे जाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिये व्यक्ति की गोपनीयता और गरिमा के हित में सरकार को यह सुविधा देने की ज़रूरत है कि जिस अधिकरण के समक्ष संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट जाती है वहाँ उसका प्रतिनिधित्व करने वाला भी कोई हो।
- नौकरशाही का असर जाँच पर न हो, इसके लिये निगरानी हेतु न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। लिहाज़ा यहाँ न्यायिक समीक्षा समिति की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण हो जाती है और इस कदम से जाँच एजेंसियों की किसी भी तरह की मनमानी पर निगरानी रखी जा सकेगी। साथ ही इन निगरानी शक्तियों के प्रयोग करने की दिशा में उचित जाँच और संतुलन को बढ़ाने के साथ-साथ सरकार की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाने की भी ज़रूरत है। इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार 'निजता के अधिकार' का हनन न हो। इसके लिये सरकार, सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करे। इस दिशा में के.एस. पुट्टास्वामी केस का जजमेंट अंधेरे में रोशनी का काम कर सकता है।

लक्ष्मीनारायण

वरि.लेखापरीक्षक

गोकर्ण

भारत के, पशिचमी तट पर उत्तर भारत के कुमहा तालुक में स्थित गोकर्ण एक तीर्थ स्थल है । दो नदियों- अग्निशनि और गंगावली के संगंम में गोकर्ण बसा हुआ है । हवाई दृश्य से गोकर्ण गाय के कान के रूप जैसा प्रतीत होता है । शायद इसी कारण इस स्थान को गोकर्ण नाम से जाना जाता है ।

महाबलेश्वर मंदिर गोकर्ण का सबसे पुराना मंदिर है और लगभग 1500 वर्ष प्राचीन है । गोकर्ण में विश्व का एक मात्र भगवान शंकर का आत्मतत्व लिंग है। कहा जाता है कि पाताल में तपस्या करते हुए, भगवान शिव रूद्र गो रूप धारणी पृथ्वी के कर्ण से प्रकट हुए । इसी कारण इस क्षेत्र का नाम गोकर्ण पड़ा ।

माना जाता है कि रावण ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव से आत्मतत्व लिंग प्राप्त किया । देवता चिंतित हुए और भगवान शिव से प्रार्थना कि और भगवान शिवजी ने उन्हें रावण को आत्मतत्व लिंग को धरती पर रखने पर मजबूर करने को कहा । भगवान विष्णु के आदेश पर गणेश जी ने ब्रम्हयारी का रूप धारण कर प्रकट हुए गोकर्ण में से जब रावण जा रहे थे तो संध्यावंदन करने के लिए रावण ने ब्रम्हयारी रूपी गणेश जी को आत्मतत्व लिंग सौंप दिया । गणेश जी ने कहा कि यदि वे लिंग भार को न सहन कर पाए तो तीन बार पुकारूंगा और उसके उपरांत भी यादि रावण नहीं आए तो लिंग को धरती पर रख देंगें ।

देवता ने तीनों लोकों की भार को लिंग में डाल दिया । गणेश जी नें तीन बार रावण को पुकारा और भार न सहन कर पाने के कारण लिंग को धरती पर

रख दिया । रावण बहुत परिश्रम करने पर भी लिंग को धरती पर से उठा नहीं पाए और निराश होकर चले गए। इसके परिणामस्वरूप गुस्से से ब्रम्हायारी बने गणेश जी के मस्तक पर प्रहार किया, प्रहार से व्यथित गणेश जी वहां से चालिस पद जाकर खड़े हो गए ।

भगवान शंकर प्रकट होकर उन्हें आश्वासन और वरदान दिया कि तुम्हारा दर्शन किए बिना जो मेरा दर्शन पूजन करेगा उसे उसका पुण्यफल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए तीर्थ यात्री पहले गणेश जी का दर्शन करके , शिव जी के दर्शन करते हैं ।

गोकर्ण में देखने लायक कई मंदिर हैं वैसे यहां खूबसूरत बीच पर्यटकों को लुभाते हैं । गोकर्ण के पास मरूदेश्वर मंदिर में भगवान शिव की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति (123 फिट) है । इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बीस मंजिला गोपुरा है । अरब सागर के किनारे स्थित है पास में अंकोला शहर है, जिसका महामायी मंदिर प्रसिध्द है ।

गोकर्ण अपने समुद्र तट की सुदंरता के लिए प्रसिध्द हैः-

1. ऊँ(ohm) बीच- हवाई दृश्य से इस तट के अनोखी आकार के कारण इस नाम ऊँ समुद्र तट पड़ा ।
2. कुड़िल (Kudle)- यह पर्यटकों के बीच प्रमुख है सफेद रेत, पलपेरा पेड़ों से घेरा यह बीच शांतिप्रिय लोगों का अति पंसदीदा है ।
3. गोकर्ण बीच- मंदिर के पास स्थित है तीर्थ यात्रियों में यह बीच प्रमुख है ।
4. परडैस बीच- यहां पर वोट या ट्रकिंग से ही पहुचां जा सकता है । यह तैराकी करना आनंददायक है ।

आर.श्री विद्या

वरि.लेप अ

महिला सशक्तिकरण

'महिला सशक्तिकरण' के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम 'सशक्तिकरण' से क्या समझते है। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। 'महिला सशक्तिकरण' के इस लेख में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं, जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। आशा करते हैं कि यह लेख आपको समाज में महिलाओं की स्थिति और अधिकारों से अवगत करवाने में सक्षम होगा और महिला सशक्तिकरण के विषय में आपकी जानकारी को और अधिक विस्तृत करेगा।

आज के आधुनिक समय में **महिला सशक्तिकरण** एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि - ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि *"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"* अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते है। लेकिन विडम्बना तो देखिए नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती हैं। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरुकता लाने के लिये मातृ दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरुरत है।

भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरुरी है, जैसे - दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावृति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। जहाँ महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है। भारत में अनपढ़ो की संख्या में महिलाएँ सबसे अव्वल है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ

में आयेगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ

स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित-परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक,राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सु-अवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है।

दूसरे शब्दों में महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएँ भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकंक्षाओं को पूरा कर सके।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था।

1. आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएँ कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएँ आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य है और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नही है।

2. शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं।

3. भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा अधिक रोजगारशील है।

4. भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है

5. हमारा देश काफी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते है, जब हम लैंगिक असमानता को दूर कर पाऐं और महिलाओं के लिए भी पुरुषों के तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सके।

6. भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी केवल महिलाओं की है मतलब, पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की जरुरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक

प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पायेगा।

7. महिला सशक्तिकरण की जरुरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुषप्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है।

8. भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिये माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रुप में देवियों को पूजने की परंपरा है लेकिन आज केवल यह एक ढोंग मात्र रह गया है।

9. पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार (काम करने की आजादी, शिक्षा का अधिकार आदि) को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।

10 पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिये सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं।

(xi) आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज्यादा जागरुक है जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयं-सेवी समूह और एनजीओ आदि इस दिशा में कार्य कर रहे है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

भारतीय समाज एक ऐसा समाज है, जिसमें कई तरह के रिवाज, मान्यताएँ और परम्पराएँ शामिल हैं। इनमें से कुछ पुरानी मान्यताएँ और परम्पराएँ ऐसी भी हैं जो भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा सिद्ध होती हैं। उन्हीं बाधाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं -

(i) पुरानी और रुढ़ीवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आजादी नही होती है।

(ii) पुरानी और रुढ़ीवादी विचारधाराओं के वातावरण में रहने के कारण महिलाएँ खुद को पुरुषों से कम समझने लगती हैं और अपने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में नाकाम साबित होती हैं।

(iii) कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। निजी क्षेत्र जैसे कि सेवा उद्योग, साफ्टवेयर उद्योग, शैक्षिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

(iv) समाज में पुरुष प्रधानता के वर्चस्व के कारण महिलाओं के लिए समस्याएँ उत्पन्न होती है।

(v) भारत में अभी भी कार्यस्थलों में महिलाओं के साथ लैंगिक स्तर पर काफी भेदभाव किया जाता है। कई सारे क्षेत्रों में तो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने की भी इजाजत नही होती है। इसके साथ ही उन्हें आजादीपूर्वक कार्य करने या परिवार से जुड़े फैसले लेने की भी आजादी नही होती है और उन्हें सदैव हर कार्य में पुरुषों की अपेक्षा कम ही आंका जाता है।

(vi) भारत में महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है और असंगठित क्षेत्रो में यह समस्या और भी अधिक दयनीय है, खासतौर से दिहाड़ी मजदूरी वाले जगहों पर तो यह सबसे बदतर है।

(vii) समान कार्य को समान समय तक करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा काफी कम भुगतान किया जाता है और इस तरह के कार्य महिलाओं और पुरुषों के मध्य के शक्ति असमानता को प्रदर्शित करते है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के तरह समान अनुभव और योग्यता होने के बावजूद पुरुषों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है।

(viii) महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएँ भी महिला सशक्तिकरण में काफी बड़ी बाधाएँ है। वैसे तो शहरी क्षेत्रों में लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले वह काफी पीछे हैं।

(ix) भारतीय महिलाओं के विरुद्ध कई सारे घरेलू हिंसाओं के साथ दहेज, ऑनर किलिंग और तस्करी जैसे गंभीर अपराध देखने को मिलते हैं। हालांकि यह काफी अजीब है कि शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के अपेक्षा अपराधिक हमलों की अधिक शिकार होती हैं।

(x) कामकाजी महिलाएँ भी देर रात में अपनी सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नही करती है। सही मायनों में महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और पुरुषों के तरह वह भी बिना भय के स्वच्छंद रुप से कही भी आ जा सकें।

(xi) कन्या भ्रूणहत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात, भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कन्या भ्रूणहत्या का अर्थ लिंग के आधार पर होने वाली भ्रूण हत्या से है, जिसके अंतर्गत कन्या भ्रूण का पता चलने पर बिना माँ के सहमति के ही गर्भपात करा दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों में स्त्री और पुरुष लिंगानुपात में काफी ज्यादे अंतर आ गया है। हमारे महिला सशक्तिकरण के यह दावे तब तक नही पूरे होंगे, जब तक हम कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को मिटा नहीं पाएँगे।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका -

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएँ चलाई जाती हैं। इनमें से कई सारी योजनाएँ रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों से सम्बंधित होती हैं। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं की परिस्थिति को देखते हुए किया गया है ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएँ मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलायी जाने वाली योजना) आदि हैं। महिला एंव बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ इस आशा के साथ चलाई जा रही है कि एक दिन भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों की ही तरह प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त होगा-

1) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इसके अंतर्गत लड़कियों की बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली भ्रांति की लड़की एक बोझ है की सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

2) महिला हेल्पलाइन योजना -

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है, महिलाएँ अपने विरुद्ध होने वाली किसी तरह की भी हिंसा या अपराध की शिकायत इस योजना के तहत निर्धारित नंबर पर कर सकती हैं। इस योजना के तुरंत पूरे देश भर में 181 नंबर को डायल करके महिलाएँ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।

3) सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप) -

स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके या फिर वह स्वंय का रोजगार शुरु कर सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों के कार्य जैसे कि कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन आदि के विषयों में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है।

4) महिला शक्ति केंद्र -

यह योजना समुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत छात्रों और पेशेवर व्यक्तियों जैसे सामुदायिक स्वयंसेवक ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते है।

5) पंचायाती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण -

2009 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों में 50 फीसदी महिला आरक्षण की घोषणा की, सरकार के इस कार्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया। जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ ही दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाएँ ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गई।

संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पास किए कुछ अधिनियम

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा भी कुछ अधिनियम पास किए गए हैं। वे अधिनियम निम्नलिखित हैं -

(i) अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956

(ii) दहेज रोक अधिनियम 1961

(iii) एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976

(iv) मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987

(v) लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994

(vi) बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006

(vii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013

महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका -

बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़-लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती हैं। अब वह चारदीवारी से बाहर निकलकर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। महिलाएँ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महान काम में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

भारत में भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है, जिन्होंने समाज में बदलाव और महिला सम्मान के लिए अपने अन्दर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसी ही एक मिसाल बनी सहारनपुर की **अतिया साबरी**। अतिया पहली ऐसी मुस्लिम महिला हैं, जिन्होंने तीन तलाक के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। तेजाब पीड़ितों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली **वर्षा जवलगेकर** के भी कदम रोकने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। हमारे देश में ऐसे कई उदहारण है जो महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन रही है।

आज देश में नारी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज देश की महिलाएँ जागरूक हो चुकी हैं। आज की महिला ने उस सोच को बदल दिया है कि वह घर और परिवार की ही जिम्मदारी को बेहतर निभा सकती है।

आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कन्धा मिला कर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं। फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का। महिलाएँ अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही हैं।

महिला सशक्तिकरण के लाभ -

महिला सशक्तिकरण के बिना देश व समाज में नारी को वह स्थान नहीं मिल सकता, जिसकी वह हमेशा से हकदार रही है। महिला सशक्तिकरण के बिना वह सदियों पुरानी परम्पराओं और दुष्टताओं से लोहा नहीं ले सकती। बन्धनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती। स्त्री सशक्तिकरण के अभाव में वह इस योग्य नहीं बन सकती कि स्वयं अपनी निजी स्वतंत्रता और अपने फैसलों पर आधिकार पा सके।

महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की जिंदगी में बहुत से बदलाव हुए।

(i) महिलाओं ने हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया है।

(ii) महिलाएँ अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही हैं।

(iii) महिलाएँ अपने हक के लिए लड़ने लगी हैं और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं।

(iv) पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं, उनके हक भी उन्हें दे रहें हैं।

(v) पुरुष अब महिलाओं के फैसलों की इज्जत करने लगे हैं। कहा भी जाता है कि - हक माँगने से नही मिलता छीनना पड़ता है और औरतों ने अपने हक अपनी काबिलियत से और एक जुट होकर मर्दों से हासिल कर लिए हैं।

महिला अधिकारों और समानता का अवसर पाने में महिला सशक्तिकरण ही अहम भूमिका निभा सकती है। क्योंकि स्त्री सशक्तिकरण महिलाओं को सिर्फ गुजारे-भत्ते के लिए ही तैयार नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने अंदर नारी चेतना को जगाने और सामाजिक अत्याचारों से मुक्ति पाने का माहौल भी तैयारी करती है।

जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और

उन्हें हटाना होगा जो समाज की पितृसत्तात्मक और पुरुष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरुद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाए।

भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हो, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, और आजादीपूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी और सहयोग की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का यह कार्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति उसके महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर ही निर्भर करती है।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है, जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इक्कीसवीं सदी की नारी जीवन में सुखद सम्भावनाओं की सदी है। महिलाएँ अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। आज की नारी अब जाग्रत और सक्रीय हो चुकी है। *किसी ने बहुत अच्छी बात कही है "नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी।"* वर्तमान में नारी ने रुढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

अखिलेश/डी.ई.ओ

त्योहारों का महत्व

भारत देश विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की महान विशेषता है । हमारे देश में अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, विभिन्न धर्मों, संप्रदाय के लोग रहते हैं । त्योहार भी हर क्षेत्र, धर्म संप्रदाय के अनुसार ही मनाये जाते हैं । हमारे यहां पर प्रत्येक राज्य में प्रत्येक दिन कोई न कोई त्योहार जरूर मनाया जाता है । जिसको सभी धर्म और जातियों के लोग खूब धूम-धाम से मनाते हैं । सभी प्रकार के त्योहारों क कुछ न कुछ महत्व होता है । इस महत्व में मानव की प्रकृति और दशा किसी न किसी रूप में अवश्य झलकती है ।

कुछ त्योहार ऋतु और मौसम के अनुसार मनाये जाते हैं, तो कुछ सांस्कृतिक या किसी घटना विशेष से संबधित होकर संपन्न होते हैं । भारत में सभी त्योहार खुशी और जुनून के साथ मनाए जाते हैं ।

राष्ट्रीय त्योहारों में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि प्रमुख हैं । ये त्योहार देशवासी राष्ट्रीय एकता और देश भक्ति की भावना से मनाते हैं । इन दिनों राष्ट्रीय अवकाश भी होता है । गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधानी देश वासियों को संबधित करते हैं। राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री भाग लेते हैं ।

धार्मिक त्योहारों में होली, दीपावाली, ईद, क्रिसमस आदि शामिल हैं। धार्मिक दृष्टि से इन त्योहारों को लोग कई पीड़ियों से मना जा रहे हैं । मंदिर, मस्जिद, चर्च जैसे धार्मिक स्थलों पर लोग एकत्रीत होकर, बड़े उत्साह से नए कपड़े, मिठाई, पटाखे के साथ मनाते हैं ।

मौसमी त्योहारों में मकर संक्राति, लोहरी, बैसाकी, पोंगल आदि बहुत से त्योहार है । नई फसल की खुशी में मनाया जाता है । प्रकृति पशु की भी पूजा होती है ।

हर प्रांत के लोग, अपने नव वर्ष को भी त्योहार के रूप में मानते है जैसे विश्व आदि नए साल का लोग बड़े उत्साह से स्वागत करते हैं ।

भारतीय त्योहार देश की संस्कृति का प्रतिबिंब है । सभी त्योहारों की अपनी परंपरा होती है जिससे संबधित जन-समुदाय इनमें एक साथ भाग लेते हैं । सभी जन त्योहार के आगमन से प्रसन्नचित होते हैं व विधि-विधान से पूर्ण हर्षोल्लास के साथ इन त्योहारों में भाग लेते हैं ।

त्योहार, समाज और राष्ट्र की एकता, समृद्धि, साम्प्रदायिकता, धार्मिक और सामाजिक रूप से विशेष महत्व रखते हैं । युग-परिवर्तन कोई बाधा नहीं रहा, युगों-युगों से भारतवासी इन त्योहारों की ज्योति मन में बनाए रखे हैं ।

त्योहार का रूप चाहे बड़ा हो या छोटा, क्षेत्रीय या संपूर्ण, समाजिक अथवा राष्ट्रीय, अवश्यमेय श्रद्धा विश्वास का ही प्रचारक है । मानवीय मूल्यों और मानवीय आदर्शों को सत्यापित करनें में त्योहारों का बड़ा योगदान है ।

त्योहारों के अवसर पर पंडितों, गरीबों को भोजन, निर्धनों को वस्त्र, मिठाई आदि बांटकर, लोग सामाजिक समरसता लाने का प्रयास भी करते हैं ।

त्योहारों के आगमन से पूर्व ही मनुष्य की उत्कंठा व उत्साह, उसमें एक सकारात्मक व सुखद परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं । नए कपड़े, मठाई, पटाखे, दिया, पूजा-पाठ इत्यादि मन में उत्साह भर देता है । इस अवसर पर, घर को शुद्ध करके, उसे सुसज्जित भी करते हैं ।

त्योहार मनाने से हम अपने पूर्वजों के मूल्यों, हमारे घर-परिवार, आस पड़ोस और मित्रों के बीच एक अच्छा माहौल बनता है । जो हमारे रिश्तों को और भी मजबूत करता है । त्योहार हमारे जीवन का एक महत्पूर्ण हिस्सा है ।

आर.श्री विद्या/वरि.लेप अ

कल्याण गतिविधियाँ

हमारे कार्यालय के कर्मचारियों ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान आयोजित कई तरह के खेलों में यथा, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, एवं ब्रिड्ज में काफी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उनमें से क्रिकेट खेल में, श्री के. केसवन, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री एम.युवराज, वलेप, श्री ए.सी. प्रतिबन, वलेप,श्री एस.दिनेश, व. लेप, श्री ए.अश्वत, लेप, श्री के.विग्णेश,लेप एवं समस्त ए जी ओ आर सी टीम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्रिकेट खेल में विशेष प्रतिभागिता देकर कार्यालय को ख्याति लाने वाले सभी प्रतिभागियों को कार्यालय की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। फुटबॉल मैच में हमारे विभाग/कार्यालय की तरफ से भाग लेकर एवं जीतकर, भा.ले.ले.प के मान बढ़ाने में विशेष योगदान देने वाले श्री ए. रीगन, वलेप, श्री वी.एड़विन लूइस, पर्यवेक्षक,श्री विक्रम पटिल विश्वास, वलेप, श्री आर.नवीन कुमार, वलेप, श्री ए.शेरिन, वलेप, श्री एस.सम्सन राज,लेप एवं समस्त फुटबॉल टीम को कार्यालय की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ।

बैडमिंटन के क्षेत्र में हमारे कार्यालय के श्री टी. मारन, वरि. लेखापरीक्षक को कार्यालय की तरफ से विशेष बधाइयाँ देते हुए यह उल्लेख किया जाता है कि उन्होंने कोच के रूप में कार्यभार ग्रहण कर, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारा सम्मान बढ़ाया।

ए जी ओ आर सी हॉकी टीम एवं श्री आर.गोविंदराजन, वलेप, श्री सी. मणिवण्णन, वलेप, श्री एस.दिनेश, लेप को राष्ट्रीय स्तर पर मैच में भाग लेने के लिए हार्दिक बधाइयाँ।

टेबल टेनिस खेल में श्री के. श्रीवत्सा चक्रवर्ती, वरि. लेखापरीक्षक एवं ए जी ओ आर सी टीम को हार्दिक बधाइयाँ। ब्रिड्ज खेल में हमारे कार्यालय के श्री एम.श्रीधर, वरि. लेखापरीक्षक को कार्यालय की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ।

खेल के अलावा कल्याण अनुभाग द्वारा कार्यालय के पदधारियों हेतु विशेष कैंप/कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जो निम्नांकित हैं-

क्र.सं.	**दिनांक**	**उपलब्धियाँ**
1.	21.5.2019	आतंकवाद विरोध दिवस पर प्र नि लेप(केंद्रीय) द्वारा शपथ दिलायी गयी ।
2.	29.05.2019	कार्यालय में डेंगू और स्वैन फ्लू पर स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान की व्यवस्था की गई ।
3.	11.6.2019 व 12.6.2019	डॉ. अग्रवाल नेत्र चिकित्सालय, चेन्नै की सहायता से नि: शुल्क नेत्र जागरूकता शिविर की व्यवस्था की गई।
4.	21.06.2019	मुख्यालय के निर्देशानुसार, 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और श्रीमती लता सुंदर, वलेपअ द्वारा व्याख्यान एवं प्रदर्शन किया गया।
5.	20.08.2019	सद्भावना दिवस / मले(आ एवं रा क्षे लेप) ने शपथ दिलाई
6.	31.10.2019	राष्ट्रीय एकता दिवस/ म नि लेप (केंद्रीय) ने शपथ दिलाई
7.	23.01.2020 व 24.01.2020	भारत के जीवन भीमा निगम द्वारा शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया।
8.	13.02.2020	नेत्र सुरक्षा और जागरूकता पर व्याख्यान डी आर आर नेत्र अस्पताल, चेन्नई से डॉ. प्रीति उदय द्वारा दिया गया ।
9.	11.03.2020	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन में डॉ.सारधा श्रीनिवास, बाल चिकित्सा और बाल स्वास्थ्य के रायल

		कॉलेज ने विशेष भाषण दिया ।
10.	मार्च व अप्रैल 2020	कल्याण कक्ष ने तीनों लेखापरीक्षा कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कोविड़ (COVID)19 पर जागरूकता पैदा करने में हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क प्रदान करके का. प्र अनुभाग की सहायता की ।
11.	अप्रैल 2019 से मार्च 2020	अवधि के दौरान अधिवर्षिता / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 22 पदधारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे ।

तीनों कार्यालयों के प्रमुख कार्यक्रम का आनंद लेते हुए मंच पर आसीन

कार्यक्रम देखकर रोमांचित होते दर्शकगण